हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

02.04.2026/1100/डीटी/एजी-1

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं प्रश्न काल आरंभ करूं, मैं आप सबको सूचित करना चाहूंगा कि विशिष्ट अतिथि दीर्घा में आज निर्वासित तिब्बतन सरकार के मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय, शिमला के मुख्य प्रतिनिधि Sh. Lhakpa Tsering के साथ अन्य प्रतिनिधि विराजमान हैं। मैं सदन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह भी सूचित करना चाहता हूं कि तिब्बतन धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन को करुणावर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर खामोश लोगों की ओर से "VOICE FOR THE VOICELESS" पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसकी प्रति माननीय सदस्यों को वितरित करने हेतु प्राप्त हुई है जोकि माननीय सदस्य को भेंट कर दी जाएगी।

आज हमारे माननीय सदस्य श्री राजेश धर्माणी, श्री सुरेश कुमार और श्रीमती कमलेश ठाकुर का जन्मदिवस भी है, आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जी की जयंती भी है।

अब प्रश्नकाल आरंभ होगा।

प्र0 सं04268 श्री एन0जी0 द्वारा जारी

02.04.2026/1105/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात...........जारी

प्रश्न संख्या-4268

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आप जिस तरह कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और लगभग 2000 करोड़ रुपये आपने वहां पर मुआवजा भी दे दिया है। मैं आपका ध्यान उन 70-80 परिवारों की ओर लाना चाहता हूं, जो वर्ष 1961 और वर्ष 1965 में विभाजन के समय गग्गल

आए थे। गग्गल आने के बाद, लगभग 60-70 वर्ष पहले, उन्हें पंचायत द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिस तरह बाकी सभी गग्गल वासियों को आपने मुआवजा दिया है, क्या जो 60-70 साल पहले यहां बसे परिवार हैं और जिन्हें पंचायत द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, उनको भी उसी तर्ज पर आप मुआवजा देंगे?

दूसरा, ये जो 60-70 वर्ष पूर्व में बसे परिवार हैं, ये परिवार रजिस्टर में भी दर्ज हैं, राशन कार्ड धारक हैं और लगान भी देते हैं।

तीसरा, जो आर0 एण्ड आर0 है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह 60-70 साल पहले पंचायत द्वारा पांच मरले भूमि आवंटित की गई थी, उस समय इस भूमि पर जो एक मकान बनाया गया था उसमें एक परिवार रहता था, लेकिन आज 70 साल बाद उसी परिवार में दो, तीन या चार परिवार हो गए हैं। जब इनका विस्थापन होगा या ये उजड़ेंगे, तो क्या परिवार रजिस्टर के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाएगा?

चौथा, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि गग्गल बाजार, जोकि इस एयरपोर्ट के कारण उजड़ रहा है और वह एक स्थापित बाजार था। वहां पर फर्नीचर व हार्डवेयर का काम का बड़े स्तर पर होता था और वर्कशॉप का काम भी काफी होता था। इसके अलावा 700-800 छोटी-मोटी दुकान करने वाले भी प्रभावित हो रहे हैं।आपने पहले कहा था कि जब भी इस एयापोर्ट को बनाया जाएगा, तो इनके लिए भी नया बाजार बनाने के बारे में सोचा जाएगा।

02.04.2026/1105/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मुख्य मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप फिर से पूछ लेना। वैसे मुख्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर उपलब्ध करवा दिया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, तो पर्यटन

को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमने गग्गल एयरपोर्ट की लंबाई 1376 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने की दिशा में काम शुरू किया है, ताकि वहां पर बड़े हवाई जहाज उतर सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने दिनांक 30 जनवरी, 2025 को इसकी ओ0एल0एस0 रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्तुत कर दी है। हमने पैसे का उदुप्योग किया है और अब तक लगभग 1960 करोड़ रुपये उन लोगों को मुआवजे के रूप में वितरित किए हैं, जिनके नाम पर जमीन थी। जैसे-जैसे हमारी वित्तीय स्थिति और बेहतर होती जाएगी तथा जिन चोर दरवाजों को बंद करके हम पैसा बचाते हैं, वह सारा पैसा हम गग्गल एयरपोर्ट व टूरिज्म के प्रोजैक्टों में लगा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

02.04.2026/1110/ए0एस0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4268 जारी .....

मुख्य मंत्री जारी .....

जिसमें से अब डेढ़ हज़ार करोड़ रुपये रह गये है। यह प्रदेश में 70 सालों के बाद पहला बड़ा एयरपोर्ट होगा जोकि प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हमारी कोशिश है कि इसकी लैंड एक्विज़िशन इस वर्ष के अंत तक पूरी कर दी जाए। जब लैंड एक्विज़िशन हुई तो उसके बाद हम भारत सरकार के पास भी गये। हमने भारत सरकार से कहा कि अगर हम साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये की लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो क्या एयरपोर्ट बनाने में आप हमारी मदद करेंगे? इसके लिए हमने सभी विकल्पों को देखा। हमने कहा कि हम लैंड एक्वायर करके देंगे। लेकिन एसरपोर्ट बनाने में जितनी लैंड एक्वायर हो रही है क्या उसमें हमारी कुछ इक्विटी रहेगी या नहीं? क्योंकि रेवेन्यू के आधार पर ही हम एयरपोर्ट में अपनी शेयरिंग की मांग कर सकते हैं। फिर भी मैंने इस विषय पर एक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात की और एक बार देश के

प्रधानमंत्री जी से भी लैंड एक्विज़िशन के लिए पैसे की बात की तो उन्होंने यही कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बन सकता। यह ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है इसलिए इसकी लैंड आप एक्वायर करके दें। हिमाचल प्रदेश लैंड कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कम्पेन्सेशन देते हैं जिनके नाम पर मालिकाना हक होता है या जिनके नाम पर ज़मीन होती है। अब इन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। निश्चित रूप से जिनका मालिकाना हक नहीं है उनको हम किसी भी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते, धन्यवाद।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। हमारे धर्मशाला-शिमला-दिल्ली के लिए एक एयरलाइन कनेक्ट थी जो उड़ान योजना "उड़े देश का आम नागरिक" के तहत थी। यह लगभग पिछले सात-आठ महीनों से बंद पड़ी हुई है। इस योजना को शुरू करने का मकसद यही था कि छोटे एयरपोर्ट्स पर लोगों को उड़ान योजना का लाभ मिल सके। कई बार हमने इस विषय को प्रदेश सरकार के ध्यान में भी लाया है और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी इस

02.04.2026/1110/ए0एस0/ए0पी0/-02

योजना का ज़िक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वी0जी0एफ0 (Viability Gap Funding) की राशि है जो राज्य सरकार की ओर से दी जानी है। कृपया क्या आप उस राशि को जारी करने का आदेश देंगे ताकि उड़ान योजना के तहत यह फ्लाइट फिर से शुरू हो सके और धर्मशाला-शिमला-दिल्ली कनेक्ट हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस एयरलाइन के शुरू होने से यहां की हवाई आवाजाही (by air movement) बढ़ेगी और यह फिज़िबल भी हो सकता है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, आपने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए एक्विज़िशन की बात की है जिसमें दो हज़ार करोड़ रुपये उन लोगों को दिए गए हैं जिनकी जमीन गगल एयरपोर्ट में आई हैं। क्या आप इस विषय को केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर के सामने उठाएंगे? हमारे माननीय सांसद डॉ. राजीव भादवाजी ने भी

दिल्ली में यह मुद्दा उठाया है कि धर्मशाला-से-दिल्ली जाने पर टिकट के रेट कई बार 18,000, 22,000, 25,000 तक हो जाते हैं। क्या आप इस विषय को सिविल एविएशन मिनिस्टर के सामने उठाएंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी हवाई यात्रा में लाभ मिल सके? मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिमला-से-दिल्ली और दिल्ली-से-शिमला की उड़ान पहले उड़ान योजना में थी। उसके बाद हमारी सरकार ने उसे दस करोड़ रुपये देकर वी0जी0एफ0 के तहत चलाया। शिमला-से-धर्मशाला कभी भी उड़ान योजना के तहत नहीं था। उनके पास सिर्फ दो जहाज हैं जो उस एयरपोर्ट/हेलिपोर्ट पर उतर सकते हैं। उस कंपनी ने फिर क्या किया कि दिल्ली-शिमला- कुल्लू और दिल्ली-शिमला-अमृतसर को उड़ान योजना में लाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। उस बीच में उनके पास पायलट ही नहीं थे। यह स्थिति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी। जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास हिल टेरेन में उड़ान भरने वाले पायलट ही नहीं हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.04.2026/1115/AT/AS /01

प्रश्न संख्या 4268 जारी.....

मुख्य मंत्री जारी...

हाल ही में जब हम दिल्ली गए तो हमने प्रस्ताव रखा कि दिल्ली-शिमला, शिमला-धर्मशाला, धर्मशाला-शिमला और दिल्ली के लिए एक रूट बनाया जाए। पहले शिमला से धर्मशाला जाने वाली उड़ान में सिर्फ 10-15 लोग ही होते थे। इसके लिए वी0जी0एफ0 को हमारी सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव किया है जिसका उल्लेख हमने अपने बजट भाषण में भी किया है।

निश्चित तौर पर हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में टूरिज्म पहले स्थान पर है। इसी दृष्टिकोण से आपने चंबा के बारे में पूछा है तो मैं बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर जिला मुख्यालय को हेलिपोर्ट से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हेलिपैड नहीं, क्योंकि हेलिपैड तो हर विधान सभा क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने बनवाए हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छे हेलिपैड बनाए हैं जिनकी संख्या 10-12 से भी ज्यादा है।

लेकिन हम हेलिपोर्ट बना रहे हैं वह भी जिला मुख्यालयों में। इनमें पहला हेलिपोर्ट पालमपुर का, फिर चंबा का और फिर हमीरपुर का है। ये तीनों हेलिपोर्ट जून तक बनने की संभावना है और इनका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। माननीय पुर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने चंबा के बारे में पुछा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि चंबा में एयरपोर्ट बनना संभव नहीं है। इसलिए हमने उसे हेलिपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की है। हेलिपैड तो पहले से ही लगभग 100 के करीब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं।

इसके बाद, सरकार ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों को भी हेलिपोर्ट से जोड़ने की दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है। जब हेलिपोर्ट चालू हो जाएंगे तो हम हमीरपुर-चंडीगढ़-शिमला, शिमला-हमीरपुर-चंडीगढ़, पालमपुर-चंडीगढ़-शिमला, पालमपुर-शिमला-चंडीगढ़, चंबा-शिमला और चंबा-चंडीगढ़ जैसे रूट्स पर भी विचार

02.04.2026/1115/AT/AS /02

कर सकते हैं। इसके लिए यदि सरकार को वी0जी0एफ0 के तहत वित्तीय सहायता देनी पड़े तो सरकार उस पर भी अपना दृष्टिकोण खुला रखे हुए है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल।

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। यह ठीक है कि दिल्ली से गग्गल, गग्गल से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से चंबा के लिए उड़ान दी जाएगी। लेकिन जो लोग उजड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ये

परिवार 60-70 वर्ष पहले यहां पर आए थे और पंचायत द्वारा उन्हें भूमि आवंटित की गई थी।

मानवता के आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उजड़ना बहुत बुरा होता है। आपने स्वयं कहा था कि एयरपोर्ट बनने से प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। ऐसे 60-70 परिवार हैं जो 50-60 साल पहले यहां बसे थे और उन्हें पंचायत द्वारा भूमि दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके लिए क्या उचित कदम उठाए जाएंगे?

दूसरा, आर एंड आर (R&R) नियम के तहत उन्हें पांच मरले जमीन दी गई थी। उस समय एक परिवार था लेकिन आज वही चार परिवार बन गए हैं। इसलिए परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड के आधार पर उन्हें उसी अनुपात में लाभ दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात, गग्गल एयरपोर्ट की बात जिस तरह से आपने गग्गल बाजार के लिए पर कनाल 1 करोड़ 25 लाख रुपये आपने मुआवज़ा दिया। इसमें बाग इछी में 20 लाख रुपये प्रति कनाल, बलसवाकड़ में 54 लाख रुपये प्रति कनाल, बल्ला में 20 लाख रुपये प्रति कनाल, डगवेहरी-खास में 30 लाख रुपये प्रति कनाल और झिकली-इच्छी में 56 लाख रुपये प्रति कनाल दिये गये। वहीं गग्गल के लिए 1.25 करोड़ रुपये प्रति कनाल तक मुआवज़ा दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरी चिंता यह है कि जितने भी हमारी पंचायतों की जमीन वहां से गई हुई है, जहां पर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुआवज़ा आपने उन्हें दे दिया है। पर कईं आप 20 लाख

02.04.2026/1115/AT/AS /03

रुपये दे रहे हैं और कईं पर आप 1.25 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह हमारा पोश एरिया है उपजाऊ (फर्टाइल) भूमि है, जहां लोग सब्ज़ी-भाजी उगाकर अपना जीवनयापन करते थे। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ‟वन प्रोजेक्ट, वन कम्पनसेशन" के आधार पर समान मुआवज़ा देगी? और जो 70-80 परिवार वास्तव में उजड़ रहे हैं उनके पुनर्वास के बारे में सरकार क्या विचार किया जाएगा?

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यद्यपि आपने जवाब दे दिया है।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

Speaker: Next Question No. 4269, 20 मिनेट हो गए हैं... (व्यवधान) I am not worried. Next Question No. 4269, माननीय सदस्य श्रीमती कमलेश ठाकुर।

प्रश्न संख्या 4269.... श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.04.2026/1120/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 4268--------- क्रमागत

अध्यक्ष : जारी

...(व्यवधान) अगला प्रश्न माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर करेंगी। ...(व्यवधान) यह प्रश्न आपका (श्री जय राम ठाकुर) नहीं है, यह माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल का है। ...(व्यवधान) मैंने सुन लिया, इस प्रश्न का सारा जवाब आ चुका है और अभी मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इस प्रश्न के बाद बोल लेना। माननीय लोक निर्माण मंत्री, ...(व्यवधान) आप लोग एक मिनट बैठ जाइए। मैं आपको इसलिए नहीं बोलने दे रहा क्योंकि ...(व्यवधान) Please take your seats. Please order in the House. ऐसा है, जब मुझे यह लगा ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आप पहले सुन तो लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और जब स्पीकर बोले तो बीच में नहीं बोलते। ...(व्यवधान) मैं किसी को दबाने की कोशिश थोड़ी न कर रहा हूं। ...(व्यवधान) Whenever the Speaker addresses the House it is the duty of all the Hon'ble Members to listen to him. It is a convention, it is a precedence and it is mentioned under Rule 299. ऐसा है, मुझे बी0पी0 की प्रोब्लम नहीं है और न ही मुझे गुस्सा दिलाने पर बढ़ता है जोकि आपने देख भी लिया है। आपने यह सब दो वर्ष पहले देख लिया है। अगर कोई मेरा बी0पी0 बढ़ाने की कोशिश करता है तो मैं टेंशन नहीं लेता बल्कि टेंशन देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं टेंशन नहीं लेता हालांकि देता जरूर हूं।

आज एक ही प्रश्न पर 20 मिनट्स बीत चुके हैं। मेरा कंसर्न बाकी प्रश्नों के लिए भी हैं। फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं परंतु आप यही भाषा वहां और यहां मत प्रयोग किया कीजिए। आज सत्र का अंतिम दिन है और I am ignoring everything.

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप बोलिए। परंतु आपने केवल प्रश्न ही पूछना।

02.04.2026/1120/av/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। आपका संरक्षण केवल सत्ता पक्ष को ही नहीं, विपक्ष को भी चाहिए। मैंने तीन बार हाथ खड़ा किया।

अध्यक्ष : मुझे जब यह लगा कि प्रश्न का उत्तर आ चुका है तो आप तीन बार कीजिए या 6 बार कीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन बार हाथ खड़ा किया और आपने सिर झुकाकर इंडीकेशन दी कि मैंने नोटिस कर लिया। लेकिन जब आपने अगले प्रश्न की अनुमति दी तो मैंने एक-दो बार अनुमति मांगी और तीसरी बार केवल ऊंचे स्वर में बोला, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं बोला।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई बात नहीं। वह सब रिकॉर्ड में आ गया है कि आपने कैसे बोला, इस बात को छोड़ दीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछने से पहले मीडिया के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि बोरॉईंग का 'ऑफ बजट बोरॉईंग' एक बहुत ही अनहैल्दी माध्यम है। वर्ष 1994 से वर्ष 1999 तक जो 1000 करोड़ रुपये ऑफ बजट बोरॉईंग की गई थी उसके कारण आज हिमाचल 1.10 लाख करोड़ रुपये के ऋण तक पहुंच गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ऋण के मामले में रुक नहीं पाया। आपने हुडको से ऑफ बजट बोरॉईंग की है और ऑफ बजट बोरॉईंग का अभिप्राय यह होता है कि बोरॉईंग की जो लिमिट है उसका इंक्लूजन नहीं है। इन्होंने यह टैक्निकली किया है और हो सकता है कि इसके लिए इनको अधिकारियों ने सलाह दी होगी। लेकिन यह एक गलत तरीका है। इसलिए क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को कहेंगे कि आपने टोटल ऑफ बजट बोरॉईंग

कितनी की है? इस प्रोजेक्ट के पक्ष में हम भी हैं परंतु आपने ऑफ बजट बोरॉईंग गलत की है।

टी सी द्वारा जारी

02.04.2026/1125/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या : 4268 क्रमागत्

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी आप पहले प्रश्न करें।

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हुडको से कितना लोन लिया है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर लिया है, उसका रेट ऑफ इंट्रस्ट क्या है और क्या यह सत्य है कि आपने ऑफ बजट लोनिंग की है, क्या यह बात अधिकारियों ने आपके ध्यान में लाई है और अगर लाई है तो क्या हमारे पास अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं थे, आप इस बारे में जानकारी देंगें?

अध्यक्ष : आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप गुस्सा मत करें। आज आपने पूरा सदन ही उठा दिया और एक्साइज मिनिस्ट्री से भी लोग आए हुए हैं, वे क्या सोचते होंगे? यहां और भी लोग आए हुए हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हमारी भविष्य की पीढ़ी बच्चे भी यहां बैठे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने भी ली हुई है इसलिए मैं शांत रहता हूं। आप भी लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां स्पष्ट दिख रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। आप गुस्से से बात कर रहे हैं। गुस्सा मत किया करो। मेरी एक राय है कि कुर्सी की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए और तनाव में नहीं रहना चाहिए। आप पता नहीं क्यों तनाव में रहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। अभी इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है और जब उपलब्ध होगी तो मैं दे दूंगा। मैं टूरिज्म मंत्री भी हूं लेकिन कई बार कुछ चीजें तुरंत उपलब्ध नहीं होती हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, जवाब देने दीजिए। You are such a senior Member and you have been the Chief Minister also. ...(Interruption). So your conduct should be very refined.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर कहा है कि आप शांत रहें। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, वह अचानक पूछा है। कहां से लिया, क्या लिया, इसकी जानकारी

02.04.2026/1125/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

लेने के बाद ही मैं उत्तर दे पाउंगा। अभी मेरे इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी, इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एयरपोर्ट का 70 से 80 प्रतिशत भाग मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुर में पड़ता है और बाकी कांगड़ा में पड़ता है, मैं सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के एयरपोर्ट को प्रायोरिटी देने की बात कही है। ...(व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो मैं भी सुन रहा था, आप भी मर्यादा रखें। ...(व्यवधान) आप बाद में बोल लेना।

अध्यक्ष : जहां भी पड़ता है ठीक है।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में केंद्र का बजट आया है। प्रधान मंत्री ने देश में 100 एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने की बात कही है। मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कांगड़ा जिला में प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट लेकर आए हैं। हमारी वित्तीय स्थिति पहले ही खराब है लेकिन यह उनकी दरियादिली है कि कांगड़ा, चंबा और पूरे प्रदेश के लिए इतना बड़ा टूरिज्म प्रोजैक्ट लेकर आए हैं। हमारे 4 सांसद हैं और एयरपोर्ट का मामला पहले भी चला था। इसके साथ ही 75 लाख लोगों को आर0डी0जी0 नहीं मिली है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-4-2026/1130/NS-HK/1

प्रश्न संख्या : 4268 -----क्रमागत

श्री केवल सिंह पठानिया------जारी

यह पूरे प्रदेश का मामला है और पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा एयरपोर्ट प्रदेश को चार चांद लगाएगा। आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से न केवल कांगड़ा, ऊना, चम्बा, मण्डी और कुल्लू तक टूरिस्टस इस एयरपोर्ट से आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 100 एयरपोर्ट्स के अंतर्गत कांगड़ा एयरपोर्ट को शामिल करवाने का प्रयास करेगी? हमारी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री जी हुडको की बात कर रहे हैं। देश के अंदर मजबूत नेतृत्व वाली सरकार है। हिमाचल प्रदेश को उनका दूसरा घर कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का मामला है और इस माननीय सदन में रेजोल्यूशन आना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र के सिविल एविएशन मंत्री 100 हवाई अड्डों में इसको भी शामिल करें? मैंने इसलिए नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया है।

मुख्य मंत्री : इस प्रश्न का समय बहुत लम्बा हो गया। माननीय सदस्य ने पूछा है और इनके विधान सभा क्षेत्र का जितनी भी भूमि इस एयरपोर्ट के लिए आती है और लोग विस्थापित हुए हैं तो ये हमेशा से अपने क्षेत्र की जनता के लिए चिंतित रहते हैं। यहां तक कि माननीय पवन कुमार काजल जी ने भी मेरे से कई बार चर्चा की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अगर 60,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिली होती तो मैं इनका बल्ह का एयरपोर्ट भी बना देता। हम इस वर्ष इस एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन पूरी करेंगे और फिर भारत सरकार व सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करने जाएंगे कि अब इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कीजिए। यह कोई चार डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। यह एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। हमारा प्राकृतिक सौंदर्य टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से है। मेरा मानना है कि जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारी जी0एस0डी0पी0 और पर केपिटा इनकम भी बढ़ेगी। हमारी पर केपिटा इनकम कांग्रेस सरकार के समय पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही है और इससे और बढ़ेगी तथा हिमाचल प्रदेश उन खुशहाल प्रदेशों में शामिल होगा जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की है। हमने कहा है कि वर्ष 2027 में

हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए टूरिज्म पर हम लगभग 3000 करोड़ रुपये आने वाले समय में खर्च कर रहे हैं।

2-4-2026/1130/NS-HK/2

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मूल प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कुछ लोग जिनके नाम पर भूमि नहीं है और सरकार की नीति नहीं है कि उनको मुआवजा मिले। क्या सरकार ई0डब्ल्यू0एस0 हाउसिंग या ऐसा कोई प्रोजैक्ट उनके लिए कंसीडर करेगी ताकि वे विस्थापित न हों? विभाजन के बाद वे उस तरफ से यहां पर आकर बसे थे। दूसरा, क्या एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए डी0पी0आर0 बनाने के लिए ई0ओ0आई0 फ्लोट कर दिया है? तीसरा, उनको क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है और क्या उसको one project one compensation के हिसाब से रिकंसीडर किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भविष्य के गर्भ में सरकार क्या सोचती है यह तो उसी समय पता लगता है जब उस समय फैसले लिए जाते हैं। अभी इस प्राजैक्ट को अगर एयरपोर्ट ऑथोरिटी नहीं बनाएगी तो **सरकार की कमिटमैंट है कि हम इसको एयरपोर्ट ऑथोरिटी, हिमाचल प्रदेश सरकार जिसने 3500 करोड़ रुपये लैंड के लिए एक्वायर किया है वे कुछ-न-कुछ इक्विटी चाहेगी। नहीं तो पी0पी0पी0 मोड/विजी हब मोड पर सरकार विचार रखती है। जो भी भारत सरकार की नीतियां हैं हम उस पर विचार रखते हैं।**

प्रश्न संख्या : 4269

श्रीमती कमलेश ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 जुलाई, 2024 से रोड अपग्रेड हो रहे थे जोकि एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0-3 में बनाए जा रहे थे और ये दिनांक 18-7-2024 से अवार्डिड हैं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.04.2026/1135/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 4269... जारी...

श्रीमती कमलेश ठाकुर ... जारी

इनमें पहली सड़क बड़हल से दौंटा, साढ़े 6 किलोमीटर; दूसरी सड़क बगलामुखी से मांधिनी, साढ़े 5 किलोमीटर; तीसरी सड़क बनखंडी से बासा वाया मेहवा गार्ड हट, साढ़े 12 किलोमीटर; चौथी सड़क खबली दोसड़का से मेहरे 10 किलोमीटर और पांचवीं सड़क सुनहेत से बासी है जिसकी लम्बाई 11 किलोमीटर है। सर, मैं 13 जुलाई, 2024 को विधायक बनी थी और इसके कुछ समय बाद ये सभी कार्य अवार्ड हो गए थे। इन कार्यों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये अवार्ड कर दिए हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य चंडीगढ़ की कंपनी M/s Garg Sons-Balaji ENT (JV) प्रा0 लिमिटिड को आबंटित किया गया था। इन कार्यों का निर्माण पूरा न होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग एक साल से धूल-मिट्टी खा रहे हैं। पिछले वर्ष वहां 3 किलोमीटर सड़क में जो white colour का केमिकल बिछाया गया था उससे काफी लोग बीमार हुए। मैंने वहां विभाग को पानी का छिड़काव करने की हिदायत दी थी लेकिन अब दोबारा वही स्थिति आ गई है। बड़हल से दौंटा और बगलामुखी से मांधिनी सड़क का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आप जानते हैं कि बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ रहती है। बनखंडी से बासा वाया मेहवा गार्ड हट सड़क का 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है और इसके लिए 12 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। खबली दोसड़का से मेहरे सड़क का कार्य 70 प्रतिशत और सुनहेत से बासी सड़क का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। ये कार्य एक वर्ष से लंबित पड़े हैं इसलिए इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। मेरा विभाग से आग्रह है कि इस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को वहां जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान हो सके।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज श्रीमती कमलेश ठाकुर, श्री राजेश धर्माणी और श्री सुरेश कुमार जी का जन्मदिवस है इसलिए मैं आप तीनों माननीय सदस्यों को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। माननीय सदस्या ने देहरा डिवीजन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करना चाही है। ये कार्य PMGSY-III के तहत चल रहे हैं। माननीय सदस्य

ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 सड़कों का जिक्र किया है। ये सभी कार्य M/s Garg Sons-Balaji ENT (JV) प्रा. लिमिटिड को आबंटित किए गए हैं। इन कार्यों को 31 जुलाई,

02.04.2026/1135/RKS/HK-2

2026 तक पूर्ण करने का समय निर्धारित किया गया है। अगर हम विस्तार में बात करें तो बड़हल से दौंटा सड़क का कार्य वर्ष 2024-25 में शुरू हुआ था। वर्तमान में इस सड़क का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कार्य के मुख्य घटक जैसे FDR, Sami/Bitumen Impregnated जियोटेक्सटाइल लेयर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण किए जा चुके हैं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या ने इन बातों का जिक्र कर दिया है। आप यह बताएं कि अगर ये कार्य जुलाई, 2026 तक पूर्ण नहीं किए गए तो whether you will reassign the work or impose a penalty to the company or not?

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस सड़क तथा ज्वालामुखी और शाहपुर की सड़कों का जिक्र शीतकालीन सत्र में भी किया गया था। हमने उस समय भी इन सड़कों के ऊपर संज्ञान लिया था, I had directed the Pr. Secretary (Public Works) and the ENC to conduct a meeting with the contractors and after due diligence और इनके ऊपर 10 प्रतिशत एल.डी. इम्पोज किया गया है।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी

02.04.2026/1140/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्याः 4269 क्रमांगत....

लोक निर्माण मंत्री जारी...

which works out tentatively to 3.22 crores Rupees इसका पैसा इन्होंने कुछ जमा किया भी है। कुछ जमा कर भी रहे हैं and after that a timeline is given to them to

complete this work in a given time framework. उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और अभी हमें वर्तमान में भारत सरकार से, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो भी पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़के बनती है। They work under the guidelines of NAREDA (National Rural Infrastructure Development Agency) और जो पी0एम0जी0एस0वाई0 का जो सैल है उसके तहत ही ये कार्य होते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश को 2 साल की एक्सटेंशन पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों में मिली है। हमारे ये कार्य वर्ष 2028 में पूर्ण होंगे। मगर फिर भी हमने इनमें डेडलाइन रखी है। हम यह कोशिश करेंगे कि 31 जुलाई 2026 तक ये सारे कार्य प्रदेश में पूर्ण हो। ये तो देहरा की बात है और ये एरिया इतना टफ टैरेन नहीं है मगर most of the PMGSY-III works are being conducted in a very harsh climatic condition in the tribal areas and topographical areas of the State and it is imperative कि कई जगहों पर वह कार्य उस निर्धारित समय पर पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि इसको तो हम पूरा करेंगे मगर इसके साथ-साथ जो पूरे प्रदेश में तकरीबन हमारा 3,000 किलोमीटर का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0-3 के अन्तर्गत चला हुआ है। उसको भी हम समय के ऊपर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसमें एक जो उन्होंने एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी की बात की है क्योंकि यह भी मैंडेट केंद्र सरकार का है कि हम जो भी अब सड़के प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। पार्टिकुलर पी0एम0जी0एस0वाई0-3, उसमें मैक्सिमम एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें कम से कम रॉ मैटेरियल का इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम से कम होता है। हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और कई जगहों पर उसका सक्सेस भी रहा है। उसमें सीमेंट का पुलवराइजेशन सीमेंट के साथ मशीन के माध्यम से करवाया जाता है। अगर उसमें पार्टिकुलर जो माननीय सदस्य ने क्वेश्चन रेज किया है कि उसकी वजह से काफी क्षेत्र के लोगों में प्रदूषण या कुछ

02.04.2026/1140/बी.एस./वाई.के.-2

ऐसी समस्या आई है तो हम उसका संज्ञान लेंगे and I will direct the Department कि वहां पर जो भी पानी का स्प्रिंकलर करना है और भी जो प्रिकॉशनरी मेजरस लेने हैं they

should be taken. कोई भी health hazard क्षेत्र के लोगों को ना हो। यह भी हमारी उसमें प्राथमिकता रहेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने जो डेडलाइन दी है, हालांकि प्रदेश को इसमें दो साल का एक्सटेंशन प्राप्त हो चुका है मगर फिर भी जो हमारी इनिशियल डेडलाइंस है, we will try to complete all the works of 3000 kilometers within that stipulated timeframe in the State. That is our commitment to the people of Himachal Pradesh.

श्रीमती कमलेश ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन मेरा एक क्वेश्चन यह है कि वह जो कंपनी काम कर रही है। उन ठेकेदारों, बाप और बेटे का डिस्प्यूट चल रहा है। कभी वे भाग करके अपनी सारी मशीनों को लेकर शाहपुर चले जाते हैं और कभी वे ज्वालाजी चले जाते हैं। उन्होंने आधा अधूरा काम छोड़ा हुआ है और वहां कोई भी सेटिस्फेक्ट्री काम नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, well, whether you will take action against the company?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पर हम विचार करेंगे। हम बाप बेटे का तो यहां पर सॉल्यूशन नहीं कर सकते। वह तो उनका पारिवारिक मामला है। परंतु जो माननीय सदस्य ने यहां पर बात रखी है। As far as the implementation of the project is concerned, उसमें अगर और भी डिले हो रहा है उस बारे में मैं डिसकस करूंगा अगर इसमें और भी हम कोई पेनल्टी लगा सकते हैं for timely execution of the work, that will be done और बाकी ईश्वर से कामना करेंगे कि उनका फैमिली डिस्प्यूट भी ठीक हो जाए।

02.04.2026/1140/बी.एस./वाई.के.-3

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि धर्मशाला के सेशन में आपने कहा था कि इस टेंडर को हम कैंसिल कर रहे हैं। हमारे वहां 26 सड़कें इस गर्ग फर्म ने ले रखी है जिसमें ज्वालाजी, देहरा, ज्वाली,

शाहपुरा, फतेहपुर और बंजार है। ये ठेकेदार उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। ये सबलेटिंग कर रहा है और आगे ठेकेदारों को पैसे नहीं देते या तो ऑफीशियली सबलेटिंग हो जिससे आगे ठेकेदारों को पैसे मिले या टेंडर कैंसिल करके हमारे हिमाचल के ठेकेदारों को दे दिए जाए।

मेरी पांच सड़कें हैं, मैडम ने कहा कि लोग बीमार हो रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। मेरी ज्वालाजी-चंबापतन और सपड़ी-पनहार दो सड़कों का उसने काम किया है और अन्य तीन सड़कों को उसने टच तक नहीं किया है। उसकी वजह से इन दो सड़कों के ऊपर छह एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोगों को टीबी की बीमारी हो गई है। वह आता है,

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

2.4.2026/1145/DT/YK-1

प्रश्न संख्या 4269 जारी

श्री संजय रत्न जारी...

एक दिन काम करता है और दूसरे दिन शाहपुर को भाग जाता है। मैंने अभी तक उसपर तीन बार पुलिस केस दायर कर दिए हैं। मैं तीन बार डी0एस0पी0 और संबंधित एस0एच0ओ0 को आदेश देकर उसकी मशीनें सड़क से हटवा चुका हूं। वह आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस आदमी से वे काम लेकर उन्हें अन्य तरीके से दिया जाए। मेरे विधान सभा की जो और तीन सड़कें हैं, उसमें से उसे जिन दो सड़कों का काम दिया गया है उनमें सिर्फ उसमें कटिंग की है या एफ0डी0आर0 ही करता है। विभाग ने कहा कि हम उस पर पैनल्टी लगाएंगे। लेकिन विभाग ने पैनल्टी लगाने की बजाय उससे एडिशनल सिक्योरटी ली। उसके बावजूद भी उसने इन छः महिनों में कुछ नहीं किया। सरकार की ओर से जितनी भी सख्ती उस पर की जाए लेकिन वह अधिकारियों के पास आता है और टाइम लिमिट को बढ़ाने का अनुरोध करता है और अधिकारी उस टाइम लिमिट को एक्सटेंट कर देते हैं। गत 31 मार्च तक पी0एम0जी0एस0वाई0-3 का काम पूरा होना था, लेकिन इसे अब और दो साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। 2 साल की एक्सटेंशन का मतलब है कि काम और देरी से होगा। मेरा सुझाव है कि जो 26 सड़कों के पैकेज के हिसाब से उसे काम दिया गया है उसको

विभाग तोड़ दे इसके बदले सिंगल सड़क का टेंडर किया जाना चाहिए। एक ही आदमी को 26 सड़कों का काम देना ठीक नहीं है और वह भी ऐसे आदमी को जो काम करता ही नहीं। अगर कुछ कहो तो कभी उसके पिता आ कर लड़ते हैं और कभी उसका बेटा लड़ने आ जाता है और लोअर लेवल के अधिकारियों को डराने लग जाते हैं, और जो टोप लेवल के अधिकारी हैं उनसे जा कर वह जाने क्या बात करता है और टोप के अधिकारी टाइम को एक्सटेंट कर देते हैं जिसके कारण वह काम पूरा नहीं होता।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपा करके आप मेरी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पैकेज टेंडर को केंसल करके एक-एक सड़क का टेंडर निकाल कर और लोगों को काम दें ताकि ये सड़कें बन जाएं। इसमें सरकार पैसा भी दे रही है, लेकनि काम नहीं हो रहा है और हम लोगों से गालियां सुन रहे हैं, क्योंकि इन सड़कों में लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। सारी सड़के उस ठेकेदार ने उखाड़ दी हैं। मेरा कंसर्न इतना ही है कि उस ठेकेदार को हटाया जाए क्योंकि वह टाइम लिमिट में काम नहीं करेगा। इसलिए इन सड़कों का जो पैकेज बना

2.4.2026/1145/DT/YK-2

कर टेंडर दिया गया है उस टेंडर को तोड़ कर सिंगल-सिंगल सड़क का टेडर विभाग निकाले ताकि सड़कों का निर्माण हो सके और इन सड़कों को जनता को समर्पित किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका अनुपूरक प्रश्न भी आ गया और आपका कंसर्न भी आ गया। उसे वर्क असाइन कर देंगे। लोक निर्माण मंत्री महोदय आप क्या कहना चाहते हैं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कई अन्य माननीय सदस्य इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी भावनाएं भी वही हैं। इस पर लंबी बात करके कोई फायदा नहीं है।

क्योंकि यह तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित मसला है हालांकि जो इसमें एलोकेशन प्रोसेस है that is very simple because when the tenders are put out, the L-1 is given the work contract. उसमें देश या प्रदेश के कोने से आकर कोई भी ठेकेदार प्रदेश में यह कार्य ले सकता है। यह एक प्रक्रिया है और हम इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी को रोक नहीं सकते। यह पहली बात है जो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति के द्वारा कार्य को ले लिया गया है। मैं **सचिव लोक निर्माण विभाग से कहूंगा कि इसमें एक कमेटी बनाए** क्योंकि हमने इसमें प्रिलिमिनरी एक्शन ले लिया है अगर फिर भी लगता है कि काम समय में पूरा नही हो रहा है यह जो इसके लिए जो तय माप दंड है उसके ऊपर क्वालिटी का और समय पर काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से according to the report that will be submitted by the Chief Engineer, Kangra and the ENC of the Department and the Principal Secretary, we will examine that report, because we should leave it to the judgment of the Department और अगर उसमें लगेगा कि फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से मैं **इस मान्य सदन को यह विश्वास दिलवाना चाहता हूं we will go ahead with the cancellation of the Tenders और उसको एक नई प्रक्रिया से उसे शुरू करेंगे।**

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble PWD Minister. ...(व्यवधान) नहीं, नहीं जब माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार के सभी कार्यों की और इंगित कर दिया है ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं?

2.4.2026/1145/DT/YK-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी विधान सभा क्षेत्रों में कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे प्रोजैक्टस लटक जाते हैं जिसके कारण कास्ट एक्सलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। टाइम बोंड मेंन्नर में काम हो ऐसा होना चाहिए। पिछली बार सरकार ने एक एफ0डी0आर0 की तकनीक अपनाई गई थी। जहां तो किसी ठेकेदार ने अच्छा काम किया वहां तो ठीक है लेकिन जैसा माननीय सदस्य संजय रत्न जी ने कहा या अन्य सदस्य बोलना चाह रहे थे, इसके संबंध में मैं यही कहूंगा कि भविष्य में इसका ख्याल रखा जायेगा कि एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार यदि एक टेंडर या दो टेंडर दिए जा सके तो, इस तरह के प्रावधान को देखेंगे। उसके बाद अगला टेंडर उसको देने की प्रिकिया की दिशा में आगे बढ़ा जायेगा। मुझे लगता है कि माननीय सदन का भी यही मत है। इसका कारण यह कि मैदानी क्षेत्रों से वो ठेकेदार आ गये शायद जो पहाड़ों में कैसे काम किया जाता है, उस तरीके को नहीं जानते। उससे क्या प्रोब्लम हुई कि ऐसे ठेकेदार बड़ी-बड़ी मशीनें लेकर यहां काम करने आ गये। बड़ी-बड़ी मशीनों के साथ इन्होंने काम भी हमारे

प्रदेश में शुरू कर दिया लेकिन शायद वह नहीं जानते कि यहां कि स्ट्राटा को सैट्टल होने में समय लगता है। इसलिए आने वाले समय में इस चीज को देखा जायेगा, मैं मंत्री जी से बात करने के बाद और अध्यक्ष महोदय जैसा आप ने भी राय दे दी कि not more than two packages to be awarded to a single firm, हम इस चीज को भी देखेंगे।

इसके साथ मैं इन मान्य सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एल0डी0आर0 कई प्रोजैक्टस में लगा दी गई है, ऐसे मामलों में नोटिस दे दिया गया है। लेकिन शायद यह भी एक प्रक्रिया हो सकती है कि क्या नोटिस देने के बाद भी किसी को दिए गये काम का टेंडर केंसल कर सकते है या नहीं या किस परिस्थिति में केंसल कर सकते हैं, यह देखना बहुत जरूरी होता है। कई जगह सरकार या विभाग फंस भी जाते हैं क्योंकि वहां ठेकेदार आता ही नहीं है इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा इस दिशा में एक प्रेंजटेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। ....(व्यवधान)

श्री एन0जी0द्वारा जारी..
02.04.2026/1150/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4269.......जारी

मुख्य मंत्री के पश्चात.......

Speaker : Next Question - 4270...(Interruption)

(माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न, प्रश्न संख्या-4269 पर कुछ कहना चाह रहे हैं परंतु अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई।)

The Hon'ble Minister and the Hon'ble Chief Minister have assured the House that they will restrict it now and in future, and they will ensure that this contractor executes the entire work; if not, the work will be rescinded. ...(व्यवधान) चलिए, अब हो गया है।...(व्यवधान) ठीक है। 6 महीने पहले...(व्यवधान)

चलिए, I hope the matter will not come up again. माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में काम ही नहीं शुरू हुआ है और कितने साल से कितनी एल0डी0आर0 लगी है, मैं इसका पता करूंगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, केवल ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी, जहां पर काम शुरू नहीं हुआ है।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप बाकि जगहों का भी बोल दीजिए।...(व्यवधान) उसी कम्पनी के द्वारा लिए गए काम जिन भी चुनावा क्षेत्रों में शुरू नहीं हुए, take action against that company. ...(व्यवधान) आप (माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा को कहा) बैठ जाइए। आप इसे नियम-61 में ला सकते हैं।...(व्यवधान) Please take your seat. Without permission, you cannot speak.

02.04.2026/1150/ए.जी.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री : अब मैं बोल लूं। (माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा को कहा) आपने बोल दिया है और आपका दर्द हम समझ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, **एक तो दो से ज्यादा काम वाली कंडिशन पहले ही है और जहां पर काम नहीं शुरू हुआ तथा वह क्यों शुरू नहीं हुआ, उसके बारे में पता करके उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और जहां पर काम नियमों के तहत कैंसिल करने की परिधि में आता होगा, उस काम को कैंसिल भी किया जाएगा।**

02.04.2026/1150/ए.जी.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या : 4270

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में जो मुझे सूचना मिली है, उसके आकलन के बाद मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं की क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी या आंकडे हैं कि कितने स्थान योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से खली पड़े हैं? क्या सरकार उन खाली स्थानों पर अस्थाई प्रबंध, जैसे आउटसोर्स या गेस्ट टीचर भरने की मंशा रखती है या नहीं?

Speaker: It is a good suggestion.

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे टीचर्स की नियुक्तियां होती हैं वे National Council for Teacher Education (NCTE) के नॉर्म्स के अनुसार होती हैं, चाहे वह एन0टी0टी0 टीचर्स की बात हो या अन्य श्रेणियों की बात हो। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने प्रयास किया और मुझे याद है कि वर्ष 2023 में जब हमारी सरकार बनी थी, क्योंकि National Education Policy-2020 के अनुसार भी हमारे प्री-प्राइमरी टीचर्स यानी एन0टी0टी0 टीचर्स का प्रारंभ होना आवश्यक था और हमने एक औपचारिक प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। वर्तमान में यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 6409 स्कूल ऐसे हैं जहां अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। हमने समग्र शिक्षा के अंतर्गत इन स्कूलों के लिए एन0टी0टी0 पोस्टों की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। लेकिन यह एक खेद का विषय है कि जो National Council for Teacher Education की गाइडलाइंस हैं, जिनके अनुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है और वह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में, जो हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HPSEDC) के माध्यम से चली, उसमें बहुत कम कैंडिडेट्स आए हैं।

02.04.2026/1150/ए.जी.-एन.जी./4

निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं स्वयं भी दिल्ली जाऊंगा और प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे नॉर्म्स व गाइडलाइंस हैं, विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जैसे कि

वर्तमान में हमारे क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त एन0टी0टी0 ट्रेनिंग संस्थान नहीं है, उसमें किस प्रकार से रिलैक्सेशन लिया जा सकता है। इस संबंध में हम भारत सरकार से, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी से और National Council for Teacher Education के चेयरमैन से भी बात करेंगे और मैं वर्ष 2023 में भी उनसे मिला था और आगे भी प्रयास करूंगा।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आपने प्राइमरी स्कूलों में एन0टी0टी0 की जगह आया वर्कर रखने का निर्णय लिया है? यदि लिया है, तो कितने स्कूलों में यह किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि इसे आउटसोर्स किया गया है? यदि हां, तो उसके मापदंड क्या हैं? क्या आप माननीय सदन और प्रदेश को यह बताएंगे? इसके अलावा ये भर्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी?

शिक्षा मंत्री.....श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

02.04.2026/1155/ए0जी0/ए0पी0/-01

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चाहे वह एन0टी0टी0 शिक्षकों की बात हो या आया हेल्पर की बात हो। इसकी स्वीकृति हमें समग्र शिक्षा से मिली है। दोनों पदों के लिए लगभग 6409 के आसपास संख्या बनती है। एन0टी0टी0 शिक्षकों को लेकर मैंने आपको पहले ही माननीय सदन में अवगत करवाया है। इसी तरह से जो हमारी आया हेल्पर लगनी है, इसकी एच0पी0एस0सी0डी0सी0 के माध्यम से यह प्रक्रिया जारी है। इसमें शर्त यह है कि उम्मीदवार स्थानीय पंचायत की होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता 10वीं रखी गई है।

श्री प्रकाश राणा: मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और सुबह भी मैंने इनसे इस विषय में बात की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जोगींद्रनगर में दो स्कूल हैं।

एक बॉयज़ स्कूल और एक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यह अच्छी बात है कि आपने वहां सी0बी0एस0ई0 सिलेबस शुरू किया है। इस विषय पर हमारी आपसे बात हुई थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जी यह नर्सरी टीचर का प्रश्न है।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-सा विषय है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप गर्ल्स स्कूल को सी0बी0एस0ई0 कर दें और बॉयज स्कूल को एच0पी0बोर्ड ही रखें। इससे बच्चें अपने-अपने हिसाब से पढ़ेंगे। यह मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

Speaker: Hon'ble Education Minister, if you want to reply, you may do so. This doesn't arise from this question.

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय श्री प्रकाश राणा जी द्वारा अपने जोगींद्रनगर के प्रोपर स्कूल के बारे में कहा है कि एक स्कूल को सी0बी0एस0ई0 के साथ एफिलेट किया जाए और दूसरे को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के माध्यम से चले। इसी तरह के दो-तीन प्रस्ताव विभाग के पास और भी आए हैं। जिनमें कुनिहार से माननीय श्री संजय अवस्थी जी ने दिया है, भंगरोटू (बल्ह विधान सभा क्षेत्र) से प्रस्ताव आया है और नूरपुर से भी प्रस्ताव आया है। इसी तरह से तीन-चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग इन पर विचार कर रहा है।

02.04.2026/1155/ए0जी0/ए0पी0/-02

प्रश्न संख्या : 4271

श्री संजय अवस्थी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तीन भागों में है। भाग "क" जो उत्तर दिया गया है उसमें विभिन्न मदों में लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि वर्ष 2026 में और 4 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि सी0एस0आर0 फंड में खर्च की गई है। लेकिन जो यह ब्यौरा दिया गया है, मैं इसका ब्रेकअप चाहता था। मैं माननीय उद्योग मंत्री

से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य सतत् आजीविका, बुनियादी ढांचा और सामाजिक जागरूकता, इन मदों में जो पैसा खर्च किया गया है, उसका विस्तृत ब्रेकअप दें। दूसरा भाग -"(ख)" मेरा प्रश्न था कि सी0एस0आर0 के अंतर्गत विकास कार्यों के चयन में क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है। इसमें उत्तर दिया गया है कि प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य और समुदाय के अन्य लोग शामिल हैं। मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं और यह सूचना गलत है। इन कार्यों में किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता। इस तरह की कोई बैठक नहीं होती। भाग-"ग" मेरा प्रश्न था कि क्या उद्योग की स्थापना के समय जो एम0ओ0यू0 साइन हुआ था, उसमें आई0टी0आई0 संस्थान स्थापित करने का कोई प्रावधान था। इसमें "नहीं" कहा गया है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार वहां आईटीआई शुरू की जानी थी, लेकिन उसे दूसरे जिले में शुरू किया गया है।

Speaker: Let the Hon'ble Minister reply.

श्री संजय अवस्थी : भाग -"घ" में उत्तर आया है कि 175 हिमाचली और 213 गैर-हिमाचली हैं। लेकिन रिहैबिलटेशन एक्ट के अंतर्गत प्रभावित पंचायतें और विस्थापित परिवार हैं। उन परिवारों के जो शिक्षित बच्चें हैं उनको कितनी नौकरियां दी गई हैं?

Speaker: Let the Hon'ble Minister reply.

02.04.2026/1155/ए0जी0/ए0पी0/-03

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष्य महोदय, माननीय श्री संजय अवस्थी जी ने जो प्रश्न किया है उनकी हमने पूरी डिटेल दी है। **यदि आपको तीन साल का विस्तृत डिटेल चाहिए तो वह उपलब्ध करवा देंगे। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि यदि एम0एल0ए0 को विश्वास में नहीं लिया गया है तो इसकी जांच की जाएगी।** उन्होंने प्रधानों के बारे में जो उत्तर दिया है वह भी सुनिश्चित नहीं है कि वह उनकी सिफारिश पर किया गया है या नहीं। **We will inquire into the matter.** साथ ही यह भी इन्शोयर करेंगे कि भविष्य में संबंधित विधायक को

विश्वास में लेकर, जो एम0एल0ए0 स्कीम्स की सिफारिश करेगा, **उन्हें सी0एस0आर0 में पूरे प्रदेश में कंसिडर किया जाएगा।**

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.04.2026/1200/AT/AS /01

उद्योग मंत्री जारी...

तीसरा, आपने कहा कि आई0टी0आई0 के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। चौथा, आपने कहा कि जो अनिवार्य शर्त है कि 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार दिया जाएगा, उसका पालन इस कंपनी ने नहीं किया है and we will take action against this company. This company has not complied with the necessary conditions. **हम इनके इंसेंटिव्स और अन्य मामलों की समीक्षा करेंगे और आपको आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे।**

अध्यक्ष महोदय, सी0एस0आर0 के तहत किसी भी कंपनी के लिए तीन शर्तें होती हैं। पहली, कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। दूसरी, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। तीसरी, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। इन तीनों में से यदि कोई एक शर्त भी पूरी होती है, तो कंपनी को सी0एस0आर0 के तहत कार्य करना होता है।

सी0एस0आर0 का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो कंपनियां हमारे संसाधनों जैसे पानी और जमीन का उपयोग कर रही हैं, वे राज्य को हुए नुकसान के अनुसार मुआवजा नहीं देती। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सी0एस0आर0 के तहत जो 2 प्रतिशत लाभ का हिस्सा है, वह हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में यह कंपनी निवेश करेगी।

प्रश्नकाल समाप्त/-

02.04.2026/1200/AT/AS /02

शून्यकाल

अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। ... (व्यवधान) महत्वपूर्ण विषय पहले ही दिए जा चुके हैं क्योंकि जीरो आवर में लगभग 16 से 22 मुद्दे हैं। What is your Point of Order?

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, वालूगंज से जतोग की ओर जाने वाली सड़क पर, तवी से आगे नीचे उतराई के पास, पावर हाउस के पीछे मुख्य सड़क पर एक बहुत बड़ा खड्डा है। कल रात जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह सौभाग्य की बात है कि हम बच गए। वह खड्डा काफी समय से वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और लोग निर्माण मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि उस खड्डे को भरा जाए या ठीक किया जाए अन्यथा वहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

Speaker : We have taken a cognizance of your issue under the Zero Hour. We will issue necessary instructions to the concerned department and we will also inform you accordingly. Your issue is taken up under the Zero Hour, not as a Point of Order. अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आज मैं शून्य काल के माध्यम से एक विषय सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई में पकड़ मजबूत हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अधिकांश विद्यालय ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हैं जहां बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि अत्यंत कमजोर और विविध है। कई बार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों का दाखिला दूसरी या तीसरी कक्षा में करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को सीधे अंग्रेजी में पढ़ाना अत्यंत अव्यावहारिक और कठिन हो जाता है। सीमित संसाधनों और प्राइमरी शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रत्येक बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कठिन हो रहा है। इससे शिक्षकों पर नीतिगत दबाव भी बढ़ रहा है जो हानिकारक साबित हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार

से आग्रह रहेगा कि यदि अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य रूप से लागू करना है तो प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद।

02.04.2026/1200/AT/AS /03

Speaker : Anybody wants to intervene, nobody wants to intervene. We have taken a cognizance of your issue and we will …(Interruption) Okay, Hon'ble Education Minister is now here to intervene in the matter.

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 जनक राज जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी यह बातें स्पष्ट की गई हैं। हमारी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के लिए विभाग स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.04.2026/1205/av/as/1

शिक्षा मंत्री------ जारी

कार्य भी कर रहा है और हमारे विभाग ने क्लास-I से अंग्रेजी पढ़ाने का निर्णय भी लिया है क्योंकि आज के आधुनिक समय में अंग्रेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीन्ज ऑफ कम्युनिकेशन है। परंतु साथ-ही-साथ हमने अपनी स्थानीय भाषाओं के संदर्भ में भी एक निर्णय लिया है कि जो बैग फ्री डे होगा उसमें हमारी स्थानीय भाषाओं जैसे चम्बयाली, जिला शिमला की महासू भाषा, सिरमौरी भाषा या कांगड़ा की भाषा है यानी हमारे हिमाचल के हर क्षेत्र की एक समृद्ध संस्कृति है। आपकी बच्चों या अध्यापकों के साथ इन भाषाओं में भी वार्तालाप हो; तो विभाग इस पर भी कार्य कर रहा है। हम यह इसलिए करना चाह रहे हैं कि इन भाषाओं को विकसित करने में शताब्दियां लगी हैं। **अतः इस बारे में निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। इसको एन0ई0पी0 की तरह कैसे फर्दर स्ट्रैंथन कर सकते हैं, विभाग इस बारे में पोजीटिवली कार्य करेगा।**

02.04.2026/1205/av/as/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया अपना विषय उठाएंगे। अं-

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा-सा मैटर है परंतु मुझे इसकी महत्ता ज्यादा लगती है। हमारे स्कूल्ज के बाहर एक स्लोगन लिखा होता है कि 'Come to Learn, Go to Serve.' Sir, I definitely feel that यह जो Go to Serve वाला पार्ट है यह शायद कंटेम्परेरी नहीं है। मैं यह सोचता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जब सरकारी स्कूल्ज का एक केवल यही औचित्य होता था कि आप किसी-न-किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कीजिए ताकि आप आगे जाकर सर्व करें। मेरे हिसाब से आज हमें अपनी जनरेशन को 'लीडरशिप' टाइप सिग्नेलिंग देनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि जब बच्चा 10-12 वर्षों तक एक ही स्लोगन पढ़ता है कि 'Come to Learn, Go to Serve.' तो उसका कहीं-न-कहीं 'सबसर्विएंट' माइंड सैट विकसित होना शुरू हो जाता है। So, I would request the Hon'ble Education Minister to change it may be to -'Come to Serve, Go to Lead' or something like that. यदि आप इसमें कुछ 'लीडरशिप' टाइप स्लोगन दे सकें तो अच्छा रहेगा।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के अंदर हमेशा ही हर दृष्टिकोण से अपनी बात रखते हैं और ये तो मेरे सहपाठी भी रहे हैं। **इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है इसलिए विभाग इस पर निश्चित रूप से विचार करेगा।**

02.04.2026/1205/av/as/3

Speaker : Next issue is from Hon'ble Member Shri Inder Singh Gandhi.

श्री इन्द्र सिंह गांधी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेर चौक शहर में दोनों तरफ की नालियां अभी तक नहीं बन पाई हैं और बरसात आने वाली है। वहां पर कुछ नालियां पूर्व भाजपा सरकार ने बनाई थीं। लेकिन नेर चौक से डढोल की तरफ वाली अभी तक पूरी नहीं बन पाई हैं। इसके अतिरिक्त नेर चौक से रत्ती की तरफ नाबार्ड के अंतर्गत काम चला हुआ

है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि नाबार्ड के अंतर्गत नेर चौक से रत्ती की तरफ जा रही सड़क पर पहले ही ड्रैन बनाकर उसको पक्का किया जाए ताकि व्यापारियों को भी धूल की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही, वहां पर बरसात का पानी जो लोगों के घरों में घुस जाता है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि कैचमैंट एरिया को एक जगह नियंत्रित करके उसको सीधा डढोल की तरफ ले जाया जाए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

Speaker : Hon'ble Minister you wants to intervene? No, okay. We have taken a cognizance of this issue and we will take up this issue with the respective department and the officers concerned. The action taken will be known to you and we will also see that the issue which you have pointed out the department takes care of that.

Next issue from Hon'ble Member Dr. Hans Raj ji.

02.04.2026/1205/av/as/4

अब माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज अपना विषय उठाएंगे।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय उठाने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

आपको पता ही है कि हम लोग चम्बा से आते हैं और अभी मैं जब घर गया था तो देखा कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण सड़कों की हालत खराब है। विशेषकर हमारी चम्बा से तीसा-वैरागढ़ रोड जोकि पांगी की तरफ जाती है क्योंकि अभी साच-पास खुल जाएगा। वहां पर शरैला और चांजू नाला हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। उसके साथ-साथ हमारा तरैला के पास एक छुबड़ा-ध्यास नामक गांव पूरे खतरे में आ गया है। चांजू सड़क के तीन-चार जगह बहुत बूरे हाल है और वहां पर दुर्घटना की सम्भावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके साथ-साथ हमारी अटल चौक कॉलौनी मोड़ से हिमगिरी-द्योतनार-आइल की तरफ सड़क जाती है, उसमें पूरा-पूरा दिन गाड़ियां फंसी रहती हैं क्योंकि वहां पर अचानक से डंगा ढह गया है। वह एक फ्रैज़ाइल एरिया है तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। -

टी सी द्वारा जारी

02.04.2026/1210/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

शून्य काल.... जारी

डॉ0 हंस राज ... जारी

जिससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह से भराड़ा-चांजू सड़क का बहुत बुरा हाल हो गया है। डोडणी के पास भी हालात खराब हुए हैं और कैथली से सपरोट की तरफ जाने वाली सड़क में भी बहुत दिक्कतें हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ये जो 16 मुख्य सड़कें हैं, जैसे कॉलोनी मोड़ से सनवाल की तरफ 36 किलोमीटर सड़क है उसमें भी सबसे बड़ी समस्या यह हुई है कि पिछली बरसात का मलबा तो पड़ा ही था, अब पिछले 3-4 दिनों की बारिश ने स्थिति और गंभीर कर दी है। अभी आपने ही लडोग से बडोह और कोटी से बाया राज नगर-चकलू सड़क का उद्घाटन किया था उनके हालात भी बहुत खराब हो गए हैं। शक्तिदेहरा-टिकरी रोड और खवालवी से कुठेड रोड का भी बहुत बुरा हाल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में इन महत्वपूर्ण सड़कों के विषय में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इसमें स्पेशल इंटरवेंशन करें क्योंकि वहां पर एक्सीयन नहीं हैं और चंबा में डेपुटेशन पर हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास तो वहां का सिर्फ चार्ज ही है। इसलिए कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर तुरंत एक्सीयन की तैनाती की जाए । धन्यवाद।

अध्यक्ष : एक महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया गया है। यह सड़कों के रख-रखाव और हाल ही में हुई बारिश से हुए नुकसान को दुरुस्त करने से संबंधित है। मैंने इसका संज्ञान लिया है और विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य तथा सदन को अवगत करवाएं। Next issue is from Hon'ble Member Kumari Anuradha Rana, MLA (Lahaul & Spiti).

02.04.2026/1210/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

कुंजुम सड़क बहाली के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करने बारे।

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं शून्य काल के माध्यम से कुंजुम सड़क बहाली के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कुंजुम टॉप लाहौल और स्पिति को अलग करता है और सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह मार्ग बंद हो जाता है। यह मार्ग जिसे सामान्यतः एस0के0जी0 सुम्दो काजा ग्रामफू मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग पहले बी0आर0ओ0 के अंतर्गत था और बीच में यह पी0डब्ल्यू0डी0 के अंतर्गत भी आया था परंतु लोगों की मांग पर इसे पुनः बी0आर0ओ0 को सौंप दिया गया। इस सड़क की हालत पहले बहुत खराब थी परंतु अब इसका चौड़ीकरण कार्य चल रहा है और मैटलिंग का कार्य भी शुरू होने वाला है। मैं इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूं परंतु इसमें जो कार्य आबंटित किया गया है वह 3 कंपनियों को दिया गया है। एक धारीवाल कंपनी, एक न्यू इंडिया कंपनी और तीसरी Garg and Garg Construction Company है। यहां प्रश्न काल में भी बहुत-से माननीय सदस्यों ने इस कम्पनी के कार्य-प्रणाली पर सवाल उठाए और उसी प्रकार की स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है। इस सड़क के कार्य का तीसरा पार्ट इस कम्पनी को दिया गया है। धारीवाल और न्यू इंडिया कंपनी का कार्य संतोषजनक है लेकिन Garg and Garg Construction Company का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, लाहौल स्पिति में केवल 6 महीने का ही कार्यकाल रहता है। उसके बाद बर्फबारी और माइनस टेम्परेचर में कोई भी कार्य संभव नहीं होता। इसके बावजूद इस कंपनी का काम बहुत धीमा है। कुंजुम सड़क बहाली का कार्य शुरू करवाने के लिए मुझे कई बार कहना पड़ा। बी0आर0ओ0 को भी बार-बार कहना पड़ा तब जाकर उसका काम शुरू हुआ और वहां केवल एक ही जे0सी0बी0 मशीन लगी हुई है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। शिंकुला या मनाली का उदाहरण लें तो बी0आर0ओ0 स्वयं तुरंत काम शुरू करता था लेकिन जब से यह काम इस कंपनी को दिया गया है तब से स्थिति खराब हो गई है। आज भी लोसर की तरफ से केवल एक जे0सी0बी0 मशीन लगी है। एक मशीन से सड़क कब खुलेगी, इसमें 2 महीने का समय लग जाएगा। मैंने कई बार कंपनी के

अधिकारियों से बात की है लेकिन ये हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, कभी ऑपरेटर नहीं पहुंचते, कभी मशीनें फंसी रहती हैं।

02.04.2026/1210/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

यह बहुत गंभीर विषय है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। भविष्य में हिमाचल प्रदेश में कहीं भी इस तरह की कम्पनियों को काम नहीं दिया जाना चाहिए। लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी 2-3 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है। कई लोगों ने एफ0आई0आर0 भी दर्ज की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बी0आर0ओ0 भी पता नहीं क्यों ऐसी कम्पनियों पर मेहरबान है?

मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको जो भी कार्य अर्वाडिड है उसको रि-साइन किया जाए और किसी सक्षम कंपनी को इसका काम दिया जाए। यदि कुछ दिनों में मशीनों की संख्या नहीं बढ़ती है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यदि हमें बी0आर0ओ0 के कार्यालय के बाहर चक्का जाम या धरना देना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और हमारे लोग भी तैयार है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-4-2026/1215/NS-DC/1

कुमारी अनुराधा राणा------जारी

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से खुली चेतावनी कंपनी को दे रही हूं और मैं बी0आर0ओ0 को भी स्पष्ट तौर पर कहने जा रही हूं। मेरा निवेदन रहेगा कि इस विषय पर सरकार संज्ञान ले और मेरे क्षेत्र के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राहत मिले। इससे हमारा पूरा पर्यटन सीजन प्रभावित हो रहा है। पिछली बार भी पर्यटन सीजन प्रभावित हुआ था और इस बार भी प्रभावित हो रहा है। मुझे पिछली बार बी0आर0ओ0 के सड़क मार्ग पर

पी0डब्ल्यू0डी0 की मशीन 10 से 12 दिनों तक लगानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि सरकार इसमें कड़े कदम उठाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और आपने अपनी वेदना व सेंटिमेंटस इस विषय के ऊपर रखे हैं उसका माननीय सदन ने संज्ञान लिया है । मैं विभाग से कहूंगा कि तथागत कंपनी जिसने सारे प्रदेश में काम लेकर रखा है उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। कृत कार्रवाई से माननीय सदन और माननीय सदस्या को भी अवगत करवाया जाए क्योंकि शून्यकाल को मैं मॉनिटर कर रहा हूं so I assure the Hon'ble Members that I will also look into all these affairs personally. अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी अपना विषय प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुख राम चौधरी : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : यह उनका शून्यकाल है और आपने उनके बिहाफ पर शून्यकाल के दौरान उनका विषय नहीं पढ़ना है। आप नहीं बोल सकते। Under Zero Hour, issue of a specific Member can be raised and when he is absent; the issue ends. अब माननीय जीत राम कटवाल जी अपना विषय उठाएंगे।

2-4-2026/1215/NS-DC/2

शाहतलाई बाबा बालक नाथ की नगरी के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के बारे में उठाया गया विषय।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल के दौरान शाहतलाई बाबा बालक नाथ की नगरी के सीवरेज स्कीम के बारे में विषय उठा रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की वर्ष 2011 में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 4 करोड़ 97 लाख 68 हजार रुपये की हुई थी और इसका शिलान्यास हुआ था। वर्ष 2018-19 तक इसका कोई कार्य नहीं हो पाया। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इसकी फॉरैस्ट क्लीयरेंस करवाई और फिर काम शुरू हुआ। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट काम शुरू हुआ और

स्थानीय लोग कोर्ट में गए क्योंकि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के कार्य को स्थानीय लोग आसानी से नहीं लेते हैं। वे लोग माननीय उच्च न्यायालय तक गए। वर्ष 2021-22 में इस कार्य के लिए 4.80 करोड़ रुपये और दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोगों की कुछ apprehensions थी। उसको NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) Nagpur की देखरेख में इसके लिए कुछ सजैस्टिव मैयर्स हुए और इसका एस्टिमेट रिवाइज हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 के समय से जो यह सीवरेज स्कीम थी अब इसका बजट या रिक्वायरमैंट 25.32 करोड़ रुपये पहुंच गई है। अगर यह कार्य एक वर्ष या 6 माह के भीतर हो गया तब तो 25.32 करोड़ रुपये में बन जाएगी। अगर यह कार्य 2 से 4 वर्षों के लिए और लटक गया तो यह स्कीम वैसे ही रह जाएगा और जो 7 से 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं वे भी खत्म हो जाएंगे तथा इसकी रिक्वायरमैंट/अपग्रेडेशन 35 से 40 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी, आप चाहे उसे प्राइस एस्केलेशन कह लें। मेरा मुख्य मंत्री जी, उप-मुख्य मंत्री जी व विभाग से अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर बड़ी सौम्यता और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। शाहतलाई में आजकल प्रतिदिन शनिवार व रविवार को डेढ़ लाख से दो लाख श्रद्धालु आते हैं। वहां पर जो गंदगी फैलती है उससे आसपास के लोग और स्थानीय पंचायतों के लोग बड़े परेशान और प्रताड़ित होते हैं। मैं यही विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता था। धन्यवाद।

2-4-2026/1215/NS-DC/3

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और मैंने व माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है। मैं चाहूंगा कि विभाग इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करे और कृत कार्रवाई से माननीय सदन व माननीय सदस्य को सूचित किया जाए। अब श्री मलेन्द्र राजन जी अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। Now next issue is from Hon'ble Member Sh. Malender Rajan. Please be very specific. दस मिनट बचे हैं और अभी बहुत इश्यूज हैं। मैं चाहता हूं कि आज अंतिम दिन में कोई इश्यू न बचे और सब इश्यूज यहां आ जाएं।

श्री मलेन्द्र राजन----आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.04.2026/1220/RKS/HK-1

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल में आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक समस्या के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय प्रदेश के छोटे ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को एक महीने का वेतन नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। उसका पारिवारिक बजट बिगड़ जाता है जिससे उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे अधिक कठिन स्थिति एक ठेकेदार की होती है जब उसे उसके द्वारा किए गए कार्यों की पेमेंट समय पर न मिले। ठेकेदार अपने पैस लगाकर निर्माण कार्य करवाता है। वह उस कार्य की सामग्री खरीदता है और मजदूरों को इसका भुगतान भी करता है तभी वह सरकार के विकास कार्यों को धरातल पर उतारता है। लेकिन जब उसकी पेमेंट 1, 2 या इससे अधिक महीनों तक लंबित रहती है तो उसका आर्थिक चक्र टूट जाता है। उस पर मजदूरों के भुगतान का दबाव अलग से रहता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ठेकेदारों के भुगतान के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए और इसके लिए एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और ठेकेदारों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने यह महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। हम चाहेंगे कि सरकार निश्चित तौर पर इस विषय के ऊपर कदम उठाएं तथा की गई कार्रवाई से आपको और इस सदन को भी अवगत करवाएं। अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी अपना विषय उठाएंगे।

02.04.2026/1220/RKS/HK-2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने 'आत्मा प्रोजैक्ट' के माध्यम से हल्दी खरीदने का प्रावधान किया है। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वे ज्यादा-से-ज्यादा हल्दी का उत्पादन करें।हाल ही में कुछ किसान मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जिस कंपनी को हल्दी इकट्ठा करने का काम दिया है वह कंपनी

उनके पास आ ही नहीं रही है। उन लोगों के पास लगभग 15-20 क्विंटल हल्दी जमा पड़ी है लेकिन कंपनी वाले अब उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इन किसानों ने सरकार के कहने पर इस फसल की खेती की लेकिन आज इस फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर संज्ञान लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने यह महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। हम संबंधित विभाग को निर्देश देंगे कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और इस सदन को भी अवगत करवाएं। अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी अपना विषय उठाएंगे।

त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा बांध को स्थापित किए हुए लगभग 65 वर्ष हो गए हैं लेकिन मेरे बिलासपुर वासियों की समस्याओं का समाधान आजतक नहीं हुआ है। जो आउस्टीज हैं वे 65 वर्षों से प्लॉट मांग रहे हैं लेकिन उन्हें आजतक प्लॉट उपलब्ध नहीं करवाये गए। भाखड़ा बांध मनेजमेंट कमेटी द्वारा जो रूरल एरिया में बुर्जियां लगाई जा रही हैं वे उच्चतम फ्लड लैवल से कहीं ऊपर लगाई जा रही है। कमेटी ने लोगों की जमीनों से 100-100 फुट ऊपर बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी है जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई है। जो लोग वहां खेतीबाड़ी करते थे उन्हें भी BBMB द्वारा खेती करने से रोका जा रहा है। हमारे शहर में पंडित जय कुमार या श्री कुलदीप चंदेल जी बुद्धिजीवी हैं लेकिन वहां आउस्टीज की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जब देश आजाद हुआ तो यह पहला शहर था जो सबमर्ज हुआ। हमारी समस्याओं का आजतक कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आपने कोलडैम के संदर्भ में मीटिंग की थी वैसी ही एक मीटिंग बिलासपुर के आउस्टीज के साथ भी आयोजित की जाए।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी

02.04.2026/1225/बी.एस./एच.के.-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

मैं राजस्व मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कोल डैम की मीटिंग की वह बहुत अच्छी मीटिंग रही। वैसी ही एक मीटिंग बिलासपुर के ऑस्टीज को बुलाकर रेवेन्यू मंत्री जी बिलासपुर में करें। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ताकि हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और जनप्रतिनिधियों को उस मीटिंग में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदन ने आपके विषय का संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से आपने सुझाव दिए हैं उनको कार्यान्वयन करने के लिए विभाग और सरकार इसको टेक अप करेगी और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को सूचित भी किया जाएगा। अब माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी अपना विषय रखेंगे।

02.04.2026/1225/बी.एस./एच.के.-2

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 5 सड़कें ऐसी हैं जहां पर भारी बरसात के बाद अभी तक बसें नहीं चल पा रही हैं। अनेकों बार विभाग को कहने के बावजूद अभी भी उन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है जिस कारण वहां पर बसें नहीं चल रही हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मौजसरी-छपरान, शयान-बाड़ा, शयान-काशन, नांडी-तांदी, पनाह-फवाणा ये पांच सड़कें ऐसी हैं जहां पर लगभग एक साल से बसें नहीं चल पा रही हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप विभाग को आदेश दें ताकि यहां पर जल्दी बसें चल सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरी ज्वाला-पनयास, ज्वाला-जयदेवी, जयदेवी-सैंजी, रो- ढाबन, रो- नलसर, काटन-नाटन-धर्मद्वारा, ढाबण-ममरू-चौंतड़ा, मगर-कैंचड़ी, गोहर-कांधा, बाढू-छनेत, निहागीं-झुंगी, झुंगी- रोपड़ी नाला, कोट-देवीगढ़, चांबी-बीबीएमबी कॉलोनी। सर, चांबी-बीबीएमबी कॉलोनी वह सड़क है जिसमें पिछली साल स्लाइडिंग होने से सात लोगों की मृत्यु हुई थी और अभी भी वहां मलबा पड़ा हुआ है और वह स्थिति वैसी ही है। एक बार नहीं अनेकों बार विभाग को कहा गया है। मैं आपके माध्यम से विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात से पहले उस मलबे को वहां से

हटा दिया जाए। ताकि आने वाले समय में वहां पर कोई दुर्घटना न हो, यह मेरा निवेदन रहेगा।

अध्यक्ष : इन सड़कों के विषय में जो माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस पर हमने संज्ञान लिया है और विभाग से हम चाहेंगे कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को सूचित करें। अब माननीय सदस्य श्री लोकेंद्र कुमार जी शून्य काल में अपना विषय रखेंगे।

02.04.2026/1225/बी.एस./एच.के.-3

श्री लोकेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि जब हमारे कुर्पन वैली में फ्लड आया था उसके बाद आज तक जो हमारे गांव हैं, पौखनी, थंथल, घाटू, कोयल और बाइल यहां की हालत बहुत खस्ता है। यहां पर लोगों की जमीन पानी में बह गई है और कुछ भी नहीं बचा है और सभी लोगों के पास के0सी0सी0 बना हुआ है। बैंक उनको लगातार नोटिस पर नोटिस निकाल रहे हैं। परंतु सरकार की ओर से अभी तक वहां पर न कोई मुआवजे का प्रावधान किया गया है और न ही उनकी कोई रिपोर्ट बनी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी इसके आसपास गांव हैं। जिनका नुकसान इस पिछली बरसात में हुआ है। जिनकी के0सी0सी0 बनी हुई है और लोन बने हुए हैं। उनके लिए कोई नीति लाई जाए ताकि बैंक उन्हें परेशान न करें।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ जिन गांवों का मैंने उल्लेख किया है। पौखनी, थंथल, घाटू, कोयल और बाइल यहां पर हजारों बीघा जमीन है और जो पहले हमारी महत्वपूर्ण कूहले आती थीं यहां कोयल से पानी शिमला जिला की ओर चला गया है परंतु हमारे आनी और आउटर सिराज, पौखनी, थंथल, घाटू, कोयल और बाइल के क्षेत्र के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वे कूहलें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। धान की बुवाई पूरी तरह से बंद हो गई है और सैकड़ों बीघा जमीन आज बंजर पड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जिन लोगों की के0सी0सी0

बनी है उनके लिए भी राहत दी जाए ताकि बैंक उन्हें परेशान न करें। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय सदन के सामने रखा है। जो बाढ़ से हुए नुकसान और भू-संरक्षण से संबंधित है। हम विभाग से इस विषय को टेक अप करेंगे और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से आपको तथा सदन को अवगत करवायेगा।

अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी शून्य काल में अपना विषय उठाएंगे।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

2.4.2026/1230/DT/YK-1

शून्य काल जारी

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री नैनादेवी में 35 गांव ऐसे हैं जो अभी भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। उन गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से सहयोग न मिलने के कारण अभी बहुत सा काम बाकि है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की चार प्रमुख सड़के नाबार्ड में पेंडिंग पड़ी हैं। पिछले तीन साल में किसी भी सड़क को नाबार्ड से स्वीकृति नहीं मिली। छः सड़के थी उसमें से दो सड़कों को तो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से धनराशि स्वीकृत हो गई है वे सड़के हैं : भटेड़ से कनफारा और नेरी से बाढनु, बाकि जो हमारी स्वाहन-कटेड़ पगवाना सड़क है, गसोर से लोअर और अप्पर ब्होली रोड इन्क्लयूडिंग ब्रिज है, नोआ से साई कनेता-साईं ब्राहमणा इल्क्लयूडिंग ब्रिज और पंजाब के बार्डर से रोडजम्मन की रोड पर ब्रिज की बात है, ये चारों डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड में पेंडिंग है परंतु इनको वहां से स्वीकृति नहीं मिल रही। क्योंकि जैसे ही नाबार्ड की बैठक होती है माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय से स्कीम को रि-प्राइरोटाइज करने का पत्र जाता है और सत्ता पक्ष के विधायकों के विधान सभा क्षेत्र के मित्रों की ही डी0पी0आरर्ज0 स्वीकृत होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 23 करोड़ रुपये तक की किटी बाकी पड़ी है। इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपये का एक्सट्रा

प्रावधान कर दिया गया है। इस तरह से यह राशि कुल 48 करोड़ रुपये हो गई। इसलिए हमारी इन सड़कों को विशेषकर जिन चार सड़कों का उल्लेख मैंने किया है कम-से-कम इनको तो नाबार्ड से मंजुरी मिले, अध्यक्ष महोदय यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

इसी तरह से जल शक्ति विभाग में भी मेरे विधान सभा की एक प्रमुख डि0पी0आर0 Source Strengthening of Various Water Supplies of Jal Shakti Vibhag, Sub-division Jukhala औरी दूसरी Replacement of Old Pumping Machinery and Rising Main Water Supply Shceme in Shri Nainadeviji Constitutency ये दोनों डी0पी0आर्ज0 भी नाबार्ड में पेंडिंग हैं इनकी भी स्वीकृति मिले, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में एक और विषय लाना चाहता हूं कि जैसे पहले हम तीन स्कीम्ज भेज सकते थे, फिर यह दो हुई और अब एक स्कीम भेजने का प्रावधान किया गया है और यह भी कहा गया कि पहले एक

2.4.2026/1230/DT/YK-2

स्कीम रिपेयर और मेंटेंनेंस के लिए दीजिए। लेकिन इस बार तो चार स्कीम्ज ले लीं। परंतु जैसे रिपेयर मेंटेनेंस की स्कीम है जैसे मैंने दो स्कीम दी : दयोथ से टेपरा वाया लोहाढ़ा डाबर और बटोह से जुखाला वाया नेरी आशामधानी; इन दोनों सड़कों में न गिफ्ट डीड की उलझन है, न ही कोई फोरेस्ट लैंड है, फिर भी इनकी डी0पी0आर्ज0 रिपेयर मेंनटेंस की नहीं बनी फिर हमसे प्रायोरटी लेने का क्या फायदा? इसलिए जो माननीय विधायकों से रिपेयर मेंनटेंस के अंतर्गत प्राथमिकताएं ली गई हैं उनके लिए भी डी0पी0आर्ज0 बने और उनका भी पैसा सैंक्शन हो, यह भी मेरा सरकार से आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय कुछ और प्रमुख सड़कें हैं जिनको मैंने पहले भी कई बार इस सदन में उठाया है श्री नैनादेवी सड़क से खालटिब्बा सड़क है उसमें एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस के लिए मैं दो-तीन बार केंद्रीय मंत्री जी से मिला और अब उसकी एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस भी हो चुकि है। इसलिए उस सड़क की भी डी0पी0आर0 बने अगर नाबार्ड से नहीं बनती तो उसकी डी0पी0आर0 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ही बने यानी कहीं से भी बनें क्योंकि यह 2010 की प्राथमिकता है और 16 साल के बाद इसको एफ0सी0ए0 से क्लीयरेंस मिली है। इसलिए इसकी डी0पी0आर0 बना कर कहीं-न-कहीं इसके लिए पैसा सैंक्शन

करवाया जाए। इसी तरह हमारी और भी बहुत सी सड़के हैं लाका से बड्डू,अजरोड़ से बेड़ी और गलुआ से तुरकीघाट पंचपोड़ से कलरी, माकड़ी से बड़ियाला और थाथ से शुकरूआ वाया सोलदा, इन सड़कों की गिफ्ट डीड लोगों ने दे दी। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि जब लोग गिफ्ट डीड दे देते हैं उसके बाद जो भी करना है वह विभाग की जिम्मेवारी है। विभाग न तो एफ0सी0ए0 के केस परसू कर रहा है, जिनके एफ0सी0ए0 के केस बन भी गये उनकी डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा रही, इसलिए इस काम को प्राथमिकता के आधार पर विभाग और सरकार करे, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

2.4.2026/1230/DT/YK-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने आपको इसलिए प्राथमिकता दी की छोटा सा इशू है लेकिन आपने तो अपने सारी विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख कर दिया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा के द्वारा निश्चिततौर पर गंभीर विषय के माध्यम से बहुत सारी सड़कों व अन्य योजनाओं की ओर मान्य सदन का ध्यान आकृषित किया है और हम चाहेंगे कि सभी विभाग जिन से संबंधित इनके विषय थे, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को भी सूचित करें। अब वैसे तो शून्य काल का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन आज अंतिम दिन है इसलिए without lunch break, we want to finish it, इसलिए मैं समझता हूं कि आज के शून्य काल के जो विषय शेष रह गये हैं वे जब अगला सत्र जब होगा उसमें टेक-अप होंगे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.04.2026/1235/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष.......... जारी

शून्य काल के जो विषय बच गए हैं, वे अगले सत्र में टेकअप किए जाएंगे।...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष व विपक्ष के कुछेक माननीय सदस्यों द्वारा शून्य काल के विषयों को अभी टेकअप करने के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया।)

ठीक है। माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राणा, आप अपना विषय रखिए।

(माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राणा द्वारा शून्य काल के दौरान जोगिन्द्रनगर बस अड्डे में लगी सुरक्षा दीवार को तोड़ने से उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री प्रकाशा राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि शून्य काल में आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र जोगिन्द्रनगर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जोकि मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रख रहा हूं। हमारा जोगिन्द्रनगर बस अड्डा वर्ष 1975 से वर्ष 1980 के बीच बना था यानी वह 45-50 साल पुराना है। उसकी जो सेफ्टी दीवार लगी हुई थी, जोकि लगभग 6-7 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी थी, उसे जे0सी0बी0 लगाकर तोड़ दिया गया है। जब मैंने आर0एम0 से पूछा कि इस सेफ्टी दीवार को क्यों तोड़ा गया, तो उनका कहना था कि उनके पास बी0ओ0डी0 की अनुमति है। मैंने उनसे उसकी कॉपी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कॉपी नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने एम0डी0 साहब को फोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह विषय उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ डेढ़-दो फुट का रास्ता दिया है। लेकिन वास्तव में लगभग 10-12 फुट दीवार तोड़ दी गई है।

02.04.2026/1235/वाई.के.-एन.जी./2

वहां के सभी दुकानदारों के साथ यह अन्याय है। जो दीवार सुरक्षा के लिए बनी हुई थी, उसे एक विशेष व्यक्ति के लिए तोड़ दिया गया, जोकि सभी के साथ अन्याय है। अगर एक को सुविधा देनी है तो वहां पर सभी को इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। यह एक गंभीर विषय है और यदि एक विशेष व्यक्ति के लिए इस प्रकार से किया जाएगा तो इससे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं और मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि

उसने इसके लिए 35-40 लाख रुपये खर्च किए हैं, तो इसकी विजिलैंस जांच होनी चाहिए कि यह मामला असल में क्या है। यह यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा मेरा आग्रह है कि यदि कोई चुना हुआ व्यक्ति किसी ऑर्डर की कॉपी स्थानीय अधिकारी से मांगे तो वह उसे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा एक गंभीर विषय माननीय सदन में उठाया गया है और हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त की हुई जानकारी को आपसे सांझा भी किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित विभाग या जहां से भी उपयुक्त होगा, इस समस्या का समाधान करने में हम आपका सहयोग करेंगे।

अब माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया अपना विषय रखेंगे।

02.04.2026/1235/वाई.के.-एन.जी./3

(माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा शून्य काल के दौरान ग्राम पंचायत सुधेड़ में बनी डम्पिंग साइट से कूड़ न उठाए जाने के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्मशाला एच0आर0टी0सी0 बस स्टॉप के साथ मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुधेड़ में एक डंपिंग साइट बनी हुई है। उस डंपिंग साइट में मैकलोडगंज से लेकर नीचे तक, सभी 17 वार्डों का कूड़ा फेंका जाता है। मेरा अनुरोध है कि विभाग इस पर ध्यान दे ताकि आने वाले समय में कोई महामारी न फैले। वहां से पहले लगभग 70 प्रतिशत कूड़ा उठा लिया जाता था, लेकिन पिछले लगभग 9 महीनों से जो कंपनी कूड़ा उठाती थी, उसके द्वारा काम कर दिया गय है। मैं आपके माध्यम से विभाग से निवेदन करता हूं कि इस डंपिंग साइट पर

जल्दी-से-जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि धर्मशाला नगर निगम की वैकल्पिक साइट बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि इस पर शीघ्र कोई-न-कोई कार्रवाई की जाए।

02.04.2026/1235/वाई.के.-एन.जी./4

(माननीय सदस्य, श्री नीरज नैय्यर द्वारा शून्य काल के दौरान चम्बा विधान सभा क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नए नियम के कारण 38 व 42 सीटर बसों को पास न किए जाने से उत्पन्न हो रही समस्या के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री नीरज नैय्यर अपना विषय रखेंगे।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट विभाग के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में बस रूट पास किए जाते हैं तो लगभग 5-6 वर्ष पहले 38 पैसेंजर और 42 पैसेंजर बसों के रूट भी पास होते थे। लेकिन अब एक नया नियम बना दिया गया है, जिसके अनुसार केवल 47 सीटर बसों के ही रूट पास किए जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं, जहां पर पहले 38 सीटर बसें चलती थीं और अब सड़कों के विस्तार के बाद कहा जा रहा है कि 47 सीटर बसों के लिए पास करेंगे, अगर ऐसा होगा तो इस नियम के कारण बसें उन रूटों पर आग जा ही नहीं सकती हैं। मेरा आग्रह है कि इसलिए इस नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है और हमारे यहां पर लोगों द्वारा बहुत कम जमीन उपलब्धत करवाई जाती है। मेरा आग्रह है कि इस नियम में संशोधन किया जाए। मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में 38 सीटर और 42 सीटर बसों को भी अनुमति दी जानी चाहिए और जहां पर सड़कें उपयुक्त हैं, वहां पर 47 सीटर बसें भी पास होनी चाहिए। इस नियम के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें बनने के बावजूद भी वहां पर बस सेवा शुरू नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब जो तीन-चार विषय बचे हैं, वे अगले सत्र में टेकअप किए जाएंगे।...(व्यवधान) I will not allow it. It has been 40 minutes now. This is the last day.

कागज़ात......श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

02.04.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष जारी .....

अब कागजात सभा पटल पर रखें जाएगें।

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का 15वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2017 (2018 का अधिनियम संख्यांक10) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई.-ए-एफ(10)-2/2019, दिनांक द्वारा 17.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.03.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवम् अन्य संरचना विकास निगम का 24वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) ; और

02.04.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-02

(ii) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा-32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवेज (संशोधन) रूल्ज, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः पीडब्लयू0डी0 (सी) ए-(3)1/2024, दिनांक द्वारा 12.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.03.2026 को प्रकाशित।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

<u>विधेयकों का पुरःस्थापन</u>

<u>पुरःस्थापनाः</u>

अध्यक्षः अब माननीय कृषि मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

कृषि मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026, (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

02.04.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-03

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय कृषि मंत्री मन्त्री हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करेंगे।

कृषि मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026, (2026 का विधेयक संख्याक : 9) पुरःस्थापित हुआ।

अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026, (2026 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य बोल सकते हैं। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

02.04.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-04

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के वेतन और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्याक : 8) में जो यह संशोधन सरकार लेकर आई है। ऐसा संशोधन सरकार पहले भी लाई थी और मुझे नहीं पता कि उस संशोधन की, जो यहां से पारित करवा लिया गया था और जिसमें हमने विरोध भी किया था उसकी वर्तमान स्थिति क्या ह?। परंतु यह जो अमेंडमेंट आई है, मैं समझता हूं कि यह एक टार्गेटेड अमेंडमेंट है। कुछ तीन-चार विधान सभा के पूर्व सदस्यों को पेंशन का लाभ न मिले, इस उद्देश्य के साथ इस अमेंडमेंट को लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है, विधान सभा में अगर कोई विधेयक या कोई संशोधन लाया जाता है तो उसका उद्देश्य पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। एट लार्ज पब्लिक को उससे कोई फायदा हो, जनता को उससे कोई लाभ हो। कहीं लाभ मिलने में कोई दिक्कत है तो अमेंडमेंट लाकर उस दिक्कत को दूर करने का काम संशोधनों के माध्यम से होता है। परंतु यह जो संशोधन सरकार लेकर आई है वह इस उद्देश्य के साथ लेकर आई है कि जो माननीय विधान सभा के सदस्य सरकार से नाराज़ होकर हमारी पार्टी के साथ आ गए। अध्यक्ष महोदय, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनको अब पेंशन न मिले, यह टार्गेटेड है।जो छः कांग्रेस पार्टी के सदस्य पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए। उनमें से दो तो जीत गए और चार नहीं जीत पाए।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.04.2026/1245/AT/AG /01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

उन चार को पेंशन न मिले इसलिए अमेंडमेंट लाया गया है। क्या हम चार लोगों को दंडित करने के लिए अमेंडमेंट करेंगे? दंड तो उन्हें पहले ही मिल चुका है उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इससे ज्यादा दंड क्या होगा? हालांकि, आपने सदस्यता रद्द की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन यह भी नहीं कहा कि सदस्यता रद्द करने का निर्णय सही है। इसलिए मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। परन्तु सच्चाई यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है कि सदस्यता रद्द होना सही था या गलत। हां, उन्हें स्टे नहीं मिला और उसी दिन चुनाव घोषित हो गए। उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन आगे केस को परस्यू नहीं किया। अब उन्हें एक और दंड देना कि पेंशन भी न मिले यह कहां का न्याय है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह गलत परंपरा है जो राजनीतिक बदले की भावना से माननीय मुख्य मंत्री जी या सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मेरा निवेदन है कि इसे बंद किया जाए और इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। आप मेजोरिटी से इसे पारित कर लेंगे लेकिन यह कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। पहले यह राज्यपाल के पास जाएगा, फिर आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है। जब कोई भी अमेंडमेंट या बिल लागू होता है तो वह प्रॉस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव तो यह लागू नहीं होगा। फिर सरकार इस पर ज़िद क्यों कर रही है? अगर एक अमेंडमेंट से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरा अमेंडमेंट क्यों लाया जा रहा है? क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है? इसलिए यह जो बदले की भावना से टारगेटेड अमेंडमेंट सरकार द्वारा लाई गई है हम इसका विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी।

02.04.2026/1245/AT/AG /02

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात रखी है। मेरा भी यही कहना है कि लोकतंत्र में कुछ बातों से हम सहमत होते हैं और कुछ से सहमत नहीं होंगे। यह एक स्थापित व्यवस्था है।

उसके बाद भी अगर आप दलबदल कानून को मजबूत करना चाहते हैं तो यह बात भी हमें समझ में आती है कि आगे के लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन यहां बात यह है कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को लागू करना चाहती है। यह प्रस्ताव किनके खिलाफ लाया गया है? यह उन विधायकों के खिलाफ लाया गया है जिन्होंने मुख्य मंत्री से नाराज होकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह जोखिम भरा कदम है, उनकी सदस्यता समाप्त तो होगी ही होगी और उपचुनाव में जीतना भी निश्चित नहीं होगा। फिर भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, इन सदस्यों के खिलाफ मुख्य मंत्री जी ने एक नहीं कई मामले दर्ज किए गए हैं। विधान सभा के अंदर पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की जो पराकाष्ठा वर्तमान मुख्य मंत्री और इस सरकार के कार्यकाल में देखी गई है, कुछ बातों को छोड कर के आगे बड़ना पड़ता है, चुनाव हो गए, कुछ लोग हार गए, कुछ लोग जीत गए, अब बात समाप्त हो जानी चाहिए। आगे के लिए आप इस ऐक्ट के लिए अमेंडमेंट लाना चाहते हैं यह भी समझ में आता है। लेकिन आपने इन लोगों के खिलाफ इतने मामले दर्ज करना और उन्हें

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी....

02.04.2026/1250/av/as/1

श्री जय राम ठाकुर------ जारी

8-8 घण्टे मुजरिम की तरह बैठाकर रखते हैं। ...(व्यवधान) इसमें सरकार तोड़ने का प्रश्न नहीं है, यहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था है। मैं अगर किसी से नाराज हूं तो नाराज हूं, वह चाहे मैं अपनी पार्टी से हूं या किसी और पार्टी से हूं। यहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था है और आप इसमें किसी को बाध्य नहीं कर सकते।

विधायकों के परिवारों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, उनके घरों और जमीन की पैमाइशें की जा रही हैं। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तभी कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। आप भविष्य के लिए फैसला कीजिए परंतु आप उनको निपटाना चाह रहे हैं जो विधायक आपसे नाराज होकर आपको छोड़कर चले गए। उनके परिवार और उनके खुद के विरुद्ध मामले दर्ज हो रहे हैं तथा उनकी जमीन व घरों की पैमाइशें हो रही हैं जोकि मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस एक्ट के माध्यम से आपने यह कदम उठाया है कि उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जिसका मुख्य मंत्री जी बुरा मानते हैं जबकि विपक्ष के विधायक आपमें सुधार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो कुछ काम करते हैं उसमें कोई गलती न हो। यहां पर पिछली बार भी जल्दबाजी में बिल लाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब बिना विचार-विमर्श के फैसले किए जाते हैं तो इसी प्रकार के परिणाम होते हैं जैसे कि यह बिल दूसरी बार आ गया। इस बिल को दोबारा से इस सदन के अंदर इसीलिए लाया गया क्योंकि पिछली बार फैसला लिया गया था कि जिन विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई है उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। इस संशोधन के माध्यम से आप प्रपोज कर रहे हैं कि जिस दल-बदल विधेयक के अंतर्गत उनकी डिसक्वालिफिकेशन हुई है इसको उस कार्यकाल के लिए किया जाए। पहले तो यह संख्या ज्यादा थी परंतु अब मुझे लगता है क उसमें दो ही विधायक बचते हैं। जिसमें गगरेट और कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्रों के पूर्व विधायक हैं जो पहली बार जीतकर आए थे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। बाकी दो को मिलेगी परंतु वह भी उनको पिछली और अगली टर्म की

मिलेगी। लेकिन इस बिल के पीछे केवल राजनैतिक प्रतिशोध की भावना झलक रही है। आप इसमें इस तरह का संशोधन कीजिए कि आने वाले समय में अगर कोई डिफैक्शन

02.04.2026/1250/av/as/2

करता है तो एंटी डिफैक्शन एक्ट के मुताबिक उसको पेंशन नहीं मिलेगी और भविष्य के लिए यह बात समझ आती है। परंतु आप तो इसको पीछे से लागू करना चाह रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने भी सही बात कही है कि कानून पारित करने व एक्ट बनाने के बाद अगर वह कानून की नज़र में कोर्ट में दुरुस्त नहीं पाया गया तो फज़ीहत इसी सदन की होती है। कहा जाएगा कि सरकार द्वारा विवेकहीन फैसला लिया गया, इसलिए मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इस बात को छोड़िए और अपना बड़ा दिल कीजिए। आप तो कहते हैं कि मैं बड़े दिल का हूं और मुझे आप हमेशा कहते हैं की आप बी0पी की दवाई लीजिए। हां, मैं बी0पी0 की दवाई की बहुत कम खुराक लेता हूं। परंतु बी0पी0 ऐसे फैसलों के कारण बढ़ता है। मनुष्य को गुस्सा आता है और गुस्से के कारण वह अपने स्वभाव के विपरीत बोलता है। लेकिन जब हमारे सामने गलत बातें होती हैं और हम उसका विरोध न करें तो वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष : लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष, गुस्से में न बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज आप पर गुस्सा किया है और वह इसलिए किया क्योंकि आपने पहले सिर हिलाकर इंडीकेशन दी थी कि मैं आपको समय दूंगा। लेकिन आपने जब समय नहीं दिया तो मुझे भी गुस्सा आ ही गया।

अध्यक्ष : गुस्सा करने से तो केवल अपना नुकसान होता है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल गुस्सा जाहिर किया और आपके प्रति कुछ नहीं बोला तथा आपने बहुत कुछ बोला जोकि that is part of the record. मैं इस सदन में सात माननीय अध्यक्षों के साथ काम कर चुका हूं। ठाकुर गुलाब सिंह जी से लेकर ठाकुर कौल सिंह, श्री गंगू राम मुसाफिर, श्री तुलसी राम, श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, डॉ0

राजीव बिन्दल, श्री विपिन सिंह परमार और फिर उसके बाद आप आए हैं। मैं ऐसा हूं ही नहीं परंतु आज मुझे गुस्सा आ गया।

अध्यक्ष : मैं भी आपको वैसा नहीं देखना चाहता।

श्री जय राम ठाकुर : लेकिन आपने मेरे बारे में बहुत टिप्पणियां की हैं।

टी सी द्वारा जारी

02.04.2026/1255/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

आपने बार-बार नियम की बात कही, नियम तो नियम है लेकिन जब आपने अनुमति नहीं दी और मुझे नजरअंदाज किया, उस समय मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और मैंने बोला लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब इसे छोड़ दीजिए। आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए मैं इस विषय पर अधिक नहीं बोलूंगा। मुझे इस बात पर (***)लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। आज हमसे हुई है, कभी आपसे भी हो जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि that should not be part of the record, which you have said.

अध्यक्ष : उसको कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लोकतंत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। आज सत्र का अंतिम दिन है, बड़े दिल से निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव में जो अमेंडमैंट लाई गई है उसे वापिस लिया जाए। अन्यथा कानून की नजर में फिर आप संकट में होंगे। यह पूरे सदन के लिए भी उचित नहीं होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमैंट बिल हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) आया है, उसमें मैं चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि यह रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस दिन चुनाव की डिक्लेरेशन हुई और मैंने नॉमिनेशन पेपर भरा, उस दिन मेरी एलिजिबिलिटी हर प्रकार से जांची गई।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया

02.04.2026/1255/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

जब मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं तो मुझे यह ज्ञात था कि मैं विधायक पद के लिए आवेदन कर रहा हूं और मुझे कौन-कौन से अलाउंसिज, पेंशन और सैलरी मिलेंगी क्योंकि इसका एक्ट में प्रावधान है। जब यह एक्ट में स्पष्ट है कि विधायक बनने के बाद मुझे यह अलाउंसिज, पेंशन और सैलरी मिलेगी, उसी आधार पर मैंने नॉमिनेशन भरा और जनता ने मुझे चुनकर इस माननीय सदन में भेजा। उसके बाद यदि बीच में कोई नया प्रावधान लाया जाता है जबकि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य उधर-इधर आए या अपने दल से असंतुष्ट होकर दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या उनके विरुद्ध रिट्रोस्पेक्टिव प्युनिटिव अमेंडमैंट हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी इस प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर कृष्णा मोहिनी जी और श्री महेंद्र नाथ सोफत जी का मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इलेक्शन पीटिशन के रूप में गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। श्री महेंद्र नाथ सोफत जी ने केस जीता और कृष्णा मोहिनी जी हार गईं लेकिन हारने के बाद भी उन्हें पेंशन और अन्य देय राशि मिलती रही। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तब भी हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए। यहां तो अभी किसी भी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। ऐसे में यह रिट्रोस्पेक्टिव न्युनिटिव अमेंडमैंट कैसे लागू की जा सकती है क्योंकि जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा उसी दिन की टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर मेरी एलिजिबिलिटी तय हुई। चाहे वह आई0ए0एस0, एच0ए0एस0 या किसी ज्यूडिशियल एग्जाम की बात हो, जब विज्ञापन जारी होता है तो उसी के अनुसार सैलरी, पर्क्स और ग्रेड पे तय होते हैं और उसी आधार पर आवेदन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमैंट बिल लाया गया है, यह पूर्णतः गलत है। मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसे वापिस लिया जाए। धन्यवाद।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमैंट लाई गई है, यह एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए लाई गई है। ...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-4-2026/1300/NS-DC/1

उद्योग मंत्री ------जारी

...(व्यवाधान) मुझे बोलने दो। यह एंटी डिफैक्शन कानून है। विधायकों को जनता जनादेश देती है और पार्टी टिकट देती है। आप उस पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर इस माननीय सदन में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वर्ष 2024 में जो घटना घटित हुई है, यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा न हो उस मंशा से इस बिल को लाया गया है। अभी यहां पर स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं कि यह केवल दो-तीन व्यक्तियों के लिए ही लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं का प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की ऐसी परंपरा नहीं है। माननीय जय राम ठाकुर जी ने बोला उसके बाद माननीय रणधीर शर्मा जी ने बोला है। ये डिफैक्शन को परमोट कर रहे हैं और स्पोर्ट कर रहे हैं। What is their intention? They are supporting कि ऐसी घटना जो हुई है, यह घटना हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा हो क्योंकि इनकी पार्टी की ऐसी मंशा है और नीति भी है। चुनी हुई सरकार को गिराना इनकी पार्टी की मंशा है। हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में गोवा, मध्यप्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं। अन्य राज्यों में तो इनका ऑपरेशन लोटस पास हो गया लेकिन यहां इनका ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। इन्होंने वहां पर चुनी हुई सरकारें गिरा दीं और अपनी बना दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में वैसा नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा जाता है कि अक्ल आ जानी चाहिए ' one should learn by his experiences' लेकिन अभी भी They

are still supporting it. अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। माननीय रणधीर शर्मा जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। राज्यसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपको अपने पोलिंग एजैंट को वोट दिखाना है कि आप किसको वोट दे रहे हैं? हमारे माननीय सदस्यों ने वोट दिखाया। 6 लोगों ने वोट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? What all happened in this House you are a witness to it. क्या हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आपने जो घटनाएं देखी? आपको भी पांच टर्म हो गए और मुझे भी 6 टर्म हो गए तथा माननीय जय राम ठाकुर जी को भी 6 टर्म हो गए हैं, हमने हिमाचल के इतिहास में दल बदल का नंगा नाच जो इस माननीय सदन में हुआ, उसको हमने पहले नहीं देखा है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कौन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब इन 6 लोगों के ऊपर एंटी डिफैक्शन लगा, पीटिशन फाइल

2-4-2026/1300/NS-DC/2

हुई और आपने पीटिशन सुनी तथा आपने अपनी जजमैंट दी। उस जजमैंट के अंगेस्ट they went to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे ग्रांट नहीं किया and then they withdrew the petition. It would have been dismissed. इन्होंने यह सोचा कि डिसमिस से बैटर है कि इस पीटिशन को विड्रो कर लिया जाए। इन्होंने पीटिशन को विड्रो कर लिया। अध्यक्ष महोदय, व्हिप इश्यू था। ठीक है, इन्होंने राज्यसभा में वोट डाल दिया और उसमें एंटी डिफैक्शन लॉ नहीं लगता है। उसके बाद जब माननीय सदन में बजट पेश हुआ और कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया था तो उस वक्त जब इस माननीय सदन में बजट को वोटिंग के लिए पुटअप किया गया and they were not present in the House. That is why they were disqualified because they were not present in the House. अब आप सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई कीजिए। इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एंटरटेन ही नहीं किया। जब दोबारा से चुनाव हुआ और जनता के दरबार में गए तथा 9 लोगों ने दल बदल किया था जिनमें 6 लोग कांग्रेस पार्टी के थे और 3 निर्दलीय विधायक थे। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि निर्दलीय विधायक अपने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए स्पीकर के खिलाफ विधान सभा में धरने पर बैठे। आपने इनको समझाया। मैंने खुद निर्दलीय विधायकों को कहा कि आप

अपनी सीट को क्यों छोड़ रहे हो? अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है तो आप बी0जे0पी0 को स्पोर्ट करना मगर ऐसा क्या है, what were the reasons कि जो तीन निर्दलीय विधायक हैं जो इस माननीय सदन के सदस्य थे तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटना हुई है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.04.2026/1305/RKS/dc-1

उद्योग मंत्री.... जारी

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो इसे जस्टीफाई करने के लिए तर्कसंगत बात करने की कोशिश की है इसमें इनकी मंशा यह है कि ये डिफैक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं।ये डिफैक्शन की सुपोर्ट में वकील बनकर सदन में बात रख रहे हैं। यह सदन के इतिहास में लिखा जाएगा कि डिफैक्शन को रोकने के लिए बिल पेश किया गया। इस बिल का किसने विरोध किया और किसने समर्थन, यह बात सदन के इतिहास में लिखी जाएगी। ...(व्यवधान) आप तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। यह घटना चौदहवीं विधान सभा में हुई है लेकिन इस विधान सभा का टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ है। This episode happened in the House in 14th Vidhan Sabha. लेकिन चौदहवीं विधान सभा अभी डिजोल्व नहीं हुई है। चौदहवीं विधान सभा में जो हुआ है उसमें सरकार को अधिकार है कि उसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बिल लाया है इसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा। हम सब चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और अपने छोटे स्वार्थ के लिए दल-बदल नहीं करना चाहिए। हिमाचल में इस तरह की राजनीति नहीं है लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें जनता ने घर बिठा दिया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी जो कह रहे थे वह इससे रेलिवेंट नहीं है। चुनाव के बाद कोई भी सदस्य शपथ ग्रहण करें और दूसरे दिन हाउस डिजोल्व हो जाए तो he is entitled for the pensionary benefits. जो पेंशनरी बेनिफिट पूर्व विधायकों को मिलते हैं, यह उससे डिबार करने का प्रोविजन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ठीक

कहा कि चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों को पेंशन का प्रोविजन तब होगा जब वे इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। अभी तो आप सब इस सदन के सदस्य हैं। जो नहीं रहे हैं, that is not a retrospective. ...(व्यवधान) अभी हाउस डिजोल्व ही नहीं हुआ है। जो सदस्य 15वीं विधान सभा में दोबारा से चुनकर आएंगे, he will not be entitle for pension, he will be entitle for the salary. मैं कह रहा हूं कि इसमें रिजॉइंडर तो नहीं बनता फिर भी माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपनी बात रख सकते हैं।

02.04.2026/1305/RKS/dc-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इतिहास देखकर बात करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में कितनी बार डिफेक्शन करवाई है? मुझे लगता है कि इसे गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। ...(व्यवधान) आज दल-बदल की बात वे कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा दल-बदल करवाई है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, एक मिनट बैठ जाइए। जो परिस्थितियां दल-बदल कानून के 10th शेड्यूल में पहले थी, वे अब बदल गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट प्रनाउंसमेंट आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि एंटी डिफैक्शन लॉ को और कठोर किया जाए। The Hon'ble Speaker of the Lok Sabha has constituted a Committee of the Presiding Officers to look into all these affairs- 'the judicial pronouncements of the Supreme Court vis-à-vis the conditions prevailing in the present political atmosphere', to look into all these matters whether this law has to be more stringent or it is to be repelled. This issue is under the surveillance of the Lok Sabha also. We are looking after all this. I am also Member of that Committee. श्री रणधीर शर्मा जी, आप पोलिटिकली भाषण छोड़कर मुद्दे की बात करें।

श्री रणधीर शर्मा : सर, हम करें तो पाप और आप करें तो पुण्य। आपने पूरे देश में 90 बार एंटी डिफेक्शन करवाई है।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी

02.04.2026/1310/बी.एस./एच.के.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

हम करें तो पाप और आप करें तो पुण्य। आपने देश में 90 बार दल बदल किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 की बात करता हूं, तेलंगाना में क्या हो रहा है? तेलंगाना में रीजनल पार्टी के एम0एल0ए0 खरीदे गए क्या वह दल बदल नहीं है?

Speaker : This doesn't pertains to this. ...(Interruption) We are not discussing the Anti-defection and defection.

श्री रणधीर शर्मा : तेलंगाना में आपकी सरकार है। राजस्थान में वर्ष 2019 में बी0एस0पी0 के एम0एल0ए0 कांग्रेस में गए। क्या वह दल बदल नहीं है? वही बात है, आप करें तो पुण्य दूसरे करें तो पाप। आपने कितनी बार दल बदल किया? अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर नहीं जाता। यह कोर्ट तय करेगा कि रेट्रोस्पेक्टिवली की डिफिनेशन क्या है? मैं यह कह रहा हूं कि मैंने सरकार को अगाह किया है यहां अदालत नहीं है परंतु मैं कह रहा हूं कि यह अमेंडमेंट कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी।

अध्यक्ष : ये तो कोर्ट का डोमेन है।

श्री रणधीर शर्मा : वह कोर्ट का विषय है परंतु मेरा मुख्य विषय है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से जो अमेंडमेंट लाई जा रही है यह हमारे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। जो अमेंडमेंट आनी चाहिए जो एक्ट आना चाहिए वह पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए। इस तरह से आप चार लोगों को टारगेट करके या दो लोगों को टारगेट करके अमेंडमेंट लाते हैं यह आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है।

अध्यक्ष : यह तो सभी के लिए है, 15वीं विधान सभा में भी यह लागू होगा।

श्री रणधीर शर्मा : मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि पिछली अमेंडमेंट का जो हश्र हुआ, वही इस अमेंडमेंट का होगा। इसलिए अपनी फजीहत करने से अच्छा है पहले इस अमेंडमेंट को वापस ले लो।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

02.04.2026/1310/बी.एस./एच.के.-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोद, संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस पर मुझे आपत्ति है, एक तो कहा कि ऑपरेशन लोटस। आपके पास क्या सबूत है? आप सत्ता में हैं सरकार में हैं आप कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस हुआ है? जब हुआ ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं। आपसे माननीय सदस्य नाराज इस कदर हुए कि उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, आदरणीय इन्द्र सिंह गांधी जी ने आपकी उपस्थिति में बोला है और वह रिकॉर्ड पर है कि हमने ऑपरेशन लोटस करवाया। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? आपके सदस्य ने खुद बोला। हम आपको अगाह करवा रहे थे।

श्री जय राम ठाकुर : आदरणीय इन्द्र सिंह गांधी जी का अपना निजी मत हो सकता है परंतु यह पार्टी का विचार नहीं है। दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत करिए अगर आप प्रोस्पेक्टिव जाना चाहते हैं और आगे से करना चाहते हैं उस दिशा में आप कदम ले सकते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा हूं वह हम सबके लिए पीड़ा का विषय बनता है जब यहां कानून बनाते हैं कोई एनेक्टमेंट करते हैं और उसमें इतनी ज्यादा खामियां रह जाती हैं कि अंततः उसको अमेंड करने के लिए फिर हमें लाना पड़ता है और अध्यक्ष महोदय, आप मेरा मार्गदर्शन करें। अपने इंडिपेंडेंट विधायकों के लिए भी पेंशन बंद कर दी थी। आखिरकार हाई कोर्ट जाना पड़ा।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं ठाकुर साहब आपका प्रश्न मेरे सचिवालय से संबंधित आया है। मैं सूचित कर दूं कि Independent MLAs, they resigned. They were entitled for the pension. They had not been disqualified. उनके पी0पी0ओज0 लेट हुए थे।

श्री जय राम ठाकुर : वह पेंशन हाइकोर्ट से रिस्टोर हुई है। फिर फजिहत हुई, फजिहत किसकी हुई? इस सदन की हुई। हाई कोर्ट को लगता है कि फैसले बिना सोचे समझे ले लिए जाते हैं।

Speaker : That is not the order of the High Court, that we lead it. This is the Vidhan Sabha Secretariat which decide their pension cases. They went to the High Court but before that we have released the pension.

02.04.2026/1310/बी.एस./एच.के.-3

Shri Jai Ram Thakur : This was born to happen. हाइकोर्ट ने तो वहीं करना था। मेरे कहने का मतलब है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, वे हाइकोर्ट में भी गए कि मुझे (अध्यक्ष)डायरेक्शन दी जाए, परंतु हाइकोर्ट ने नहीं दी कि we cannot give any direction to the Speaker.

श्री जय राम ठाकुर : यह बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं।

Speaker : We are not discussing the High Court here.

श्री जय राम ठाकुर : हमें हाइकोर्ट का जिक्र करना पड़ेगा। वे गए और उसके बाद उनकी पेंशन बहाल हुई है और निर्दलीय विधायकों की भी हुई। वे तो पार्टी के भी नहीं थे उन पर भी ये कब्जा बना करके बैठे थे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करिए। आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बजाय आगे से इसको लागू करने की दिशा में काम करें और आज की तारीख में इस बिल को वापस लीजिए और वापस लेकर अच्छे से विचार करके, गुस्से में नहीं, नाराजगी में नहीं और बदले की भावना के साथ नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आइए कि दल बदल कानून पर हमें और सख्ती करनी चाहिए इसके लिए कुछ एक्ट में प्रावधान करना चाहिए उसके साथ आइए और हम उस पर विचार करेंगे।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

02.04.2026/1315/डीटी/एचके-1

Speaker : Before I ask the Hon'ble Chief Minister to speak, Hon'ble Revenue Minister Shri Jagat Singh Negi ji you may speak first.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब इनके स्वार्थ की बात होती है तो ये बड़े प्यार से बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी हमेशा इसी तरह बात करें। जिन लोगों ने दल-बदल किया है उन्हें ये इनाम देने की बात कर रहे हैं। आप यह स्पष्ट करें कि आप दल-बदल कानून के साथ हैं या इसके विरोध में? अगर विरोध में है तब भी बताइए लेकिन समर्थन में हैं तो फिर आप दो प्रकार की बातें नहीं कर सकते। आप हमारा साथ दीजिए या विरोध कीजिए। वह दिन हमारे प्रदेश के इतिहास में काला दिन था। आप उन लागों का दल बदल कर अपने साथ ले गए। उनके साथ इन्होंने सी0आर0पी0एफ0 की सारी बटालियन लगा दी। अगर इस तरह की घटना के बाद आज ये उनको जस्टिफाई करने जा रहे हैं तो यह गलत है। मुझे लगता है कि ये लोग हमेशा एंटी डिफैक्शन लॉ के खिलाफ रहे। यह एंटी डिफैक्शन लॉ किसने लाया? यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के समय ऐसी घटनाएं हुई लेकिन इस लॉ को कांग्रेस पार्टी ने ही लाया है ताकि भविष्य में ऐसा न हो। यहां पर लोट्स ओप्रेशन की बात हुई। यहां श्री इन्द्र सिंह जी को ही दोष दिया जा रहा है लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी ने खुद माना कि यह ओप्रेशन अधूरा ही रहा। ये हमारी मंशा पर शक कर रहे हैं लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट हो गई है। यह बात सदन में रिकॉर्ड है। यह आपने ही कहा था। ...(व्यवधान) वे कभी बेचारे नहीं हो सकते। उन्होंने जनता के वोट का अपमान किया है और उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जनादेश मिला था। लेकिन वे बाद में दल-बदल कर चले गए। इसमें धनबल और ई0डी0 का उपयोग हुआ है। मैं कहता हूं कि यह बहुत बढ़िया बिल है। जो ऑलरेडी डिसक्वालिफाई है उन्हें तो यह लाभ ऐसे भी नहीं मिलना है। यह लाभ तो उन लोगों का मिलेगा जो डिसक्वालिफाई नहीं होंगे।

02.04.2026/1315/डीटी/एचके-2

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब लोकतंत्र बिका तो हमारी 75 लाख जनता ने इसे देखा। इस वाकय को आपने भी देखा और लोकतंत्र खरीदने वालों ने भी देखा। मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाता है तो उसमें लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। यह बिल कांग्रेस पार्टी की फेवर में नहीं लाया गया है। यदि कल को भाजपा का कोई सदस्य ल-बदल करेगा तो यह नियम उस पर भी लागू होगा। आप गुस्से में थे और आप अपनी बात को जस्टिफाइ करने के लिए 7 स्पीकर्ज का नाम लिखकर लाए जिनके आपने नाम पढ़े हैं। आपको ठाकुर गुलाब सिंह, ठाकुर कौल सिंह और श्री गंगू राम मुसाफिर का नाम लिखने में टाइम लगा होगा। यह आपका गुस्सा था। मेरी आपके प्रति काफी सहानुभूति है। अगर आप छोटी डोज ले रहे हैं तो आप इसे बढ़ाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर गुस्सा था तभी आपने इनके नाम लिखे हैं। लेकिन मैं इन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

02.04.2026/1320/वाई.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री.......... जारी

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष कन्फ्यूज्ड भी है क्योंकि ये बार-बार 'रेट्रोस्पेक्टिव' बोल रहे हैं। जो बिल पहले लाया गया था, वह रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन यह बिल प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस टर्म के लिए है। इस टर्म के आगे जो भी ऐसा करेगा, उनके लिए यह बिल है।

अध्यक्ष महोदय ने जो इंटरप्रिटेशन दी थी, वो बिल्कुल सही दी थी।...(व्यवधान) जो कानून बनता है, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए माननीय कोर्ट भी बैठा है और कोर्ट

इंटरप्रिटेशन करता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बिल के संबंध में मैं कह रहा हूं कि जो पिछला बिल था, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव के कारण सबकी पेंशन बंद हो गई थी क्योंकि उसमें हमने रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया था, इसलिए आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो बिल है, इस टर्म के बाद से जो भी इसमें डिसक्वालिफाई होगा और जो पेंशन का हकदार होगा, अगर कोई अभी भी पार्टी छोड़ता है तो उस पर यह बिल लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि भविष्य में कभी भी लोकतंत्र नहीं बिकना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार, आपने कभी इतिहास में ऐसा देखा है? अध्यक्ष महोदय ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो वे लाइब्रेरी के पास नीचे बैठ गए। वे आज़ाद उम्मीदवार चाह रहे थे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए।...(व्यवधान) आप लोग नहीं थे। उन्होंने श्री जय राम ठाकुर जी को भी नहीं पूछा। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, आप गुस्सा मत मानना।...(व्यवधान) आप लोग भी नहीं थे। आपको तो सिर्फ सुबह खबर देते होंगे। आप में से किसी को भी नहीं पूछा।

02.04.2026/1320/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, जब खबर आई कि हमारा इस्तीफा होगा और वे आपके पास आए। वे लोग दिल्ली से हेलीकॉप्टर में आए...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटित हुई है, उसे याद करवाना पड़ता है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप वह दृश्य मत दिखाओ।

मुख्य मंत्री : मैं वे दृश्य देख चुका हूं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इनको भी बता रहा हूं कि वे हेलीकॉप्टर में आए और यहां अध्यक्ष महोदय के कमरे में गए। वे आज़ाद प्रत्याशी बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि

मैं इस्तीफे को समझूंगा, पढ़ूंगा और आपको पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जनता पर चुनाव का बोझ डालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वे लोग तो लाइब्रेरी के बाहर बैठ गए। हर रोज अखबारो में चला और फिर उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, वे कोर्ट में भी चले गए थे।

मुख्य मंत्री : जी अध्यक्ष महोदय। उन्हें कोर्ट से भी कुछ नहीं मिला और कोर्ट वालों ने भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं देनी थी। ये सब चीजें लोकतंत्र को बिकने से बचाने के लिए हैं। भविष्य में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़े, तो उसकी एक मर्यादा हो। राजनीति में तीन चीजें, मोरैलिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी हैं। जो अपना मोरल बेचकर जा रहा है, जिससे एम0एल0ए0 बना, जिस पार्टी के टिकट से उसे पेंशन मिलनी थी, वह उसी पार्टी को धोखा देकर दूसरे पक्ष में बैठ गया। इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए चाहूंगा कि इस बिल को पास किया जाए। धन्यवाद।

02.04.2026/1320/वाई.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : तो प्रशन यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :-

अब माननीय मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए

02.04.2026/1320/वाई.के.-एन.जी./4

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8) ध्वनिमत से पारित हुआ।

<u>**विचार :-**</u>

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

कृषि मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष......श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

02.04.2026/1325/ए0एस0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक : 9) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं। इसके बाद कृषि मंत्री महोदय इसका जबाव देंगे।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वागत करता हूं कि कृषि मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लाए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर किसानों का आयोग बनता है तो किसानों को फ़ायदा होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी इस आयोग के सदस्य बनें और इस आयोग की अध्यक्षता करें वो किसान होने चाहिए। खेती-बाड़ी से जुड़े हुए होने चाहिए। उनको व्यापक अनुभव होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय डॉ0 हंस राज जी।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल माननीय कृषि मंत्री जी लाए है यह एक महत्वपूर्ण बिल लाए हैं। हम भी इनके साथ हैं। माननीय श्री कुलदीप राठौर जी कह रहे हैं

कि इसमें मेरी submission इतनी है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान-बाग़वान हैं जिन्होंने अपनी-अपनी फील्ड में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्होंने जो मनशा ज़ाहिर की है, वो हम भी चाहते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, चाहे agriculture हो या horticulture, इसमें कई ज़िलों के डिपार्टमेंटों में हालात बहुत खराब रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे बाग़वान हैं, चाहे अपर हिमाचल में जैसे मटर की खेती में हमारी तरफ हुआ है। ऐसे बहुत सारे उत्कृष्ट किसानों-बाग़वानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा contribution दिया है। जब ऐसी नीति बने तो उनको इस नीति में लेना अति आवश्यक रहेगा। ये आप सुनिश्चित करें, धन्यवाद।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री कुलदीप सिंह राठौर जी और डॉ0 हंस राज जी ने दिए हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। इसमें जो चेयरमैन होगा वह अनुभवी व्यक्ति होगा। उस व्यकित को इस क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए और इसमें ये भी रखा गया है कि वो खासकर कृषि, बागबानी, पशुचिकित्सा से जुड़ा हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता में वो व्यवसायिक और प्रगतिशील किसान भी होना चाहिए। इसमें ऐसा भी है कि वो अच्छा पी0एच0डी0 भी हो, जिसने इस फिल्ड में अच्छे शोध किए हों। इसलिए योग्यता में हमने अध्यक्ष की आयु 5 वर्ष अवधि होगी और 70 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकता

02.04.2026/1325/ए0एस0/ए0पी0/-02

है। उसके बाद नया अध्यक्ष बनेगा। यह सारी योग्यता है। व्यक्ति का बैकग्राउंड कृषि के साथ होनी चाहिए, बागबानी के साथ होनी चाहिए, एनिमल हसबैंड्री के साथ होनी चाहिए, फिशरी के साथ होनी चाहिए, अच्छा पढ़ा-लिखा होना चाहिए और उसको काफी तजुर्बा होना चाहिए इसके संबंध में होना चाहिए। सारी योग्यताएं इसमें रखी गई हैं।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक : 9) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व 26 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

02.04.2026/1325/ए0एस0/ए0पी0/-03

खण्ड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व 26 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक 9) को पारित किया जाए।

कृषि मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक 9) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक 9) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक 9) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यक 9) पारित हुआ।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.04.2026/1330/AT/AG /01

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

मााननीय सदस्य बोल सकते है और माननीय राजस्व मंत्री उसका उत्तर देंगे। Nobody wants to speak.

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

02.04.2026/1330/AT/AG /02

अध्यक्ष: अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 7)पारित हुआ।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य बोल सकते हैं। Nobody wants to speak.

02.04.2026/1330/AT/AG /03

तो प्रश्न यह है कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 और 17 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट** (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए?

02.04.2026/1330/AT/AG /04

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ"

अध्यक्षः अब नियम-324... (व्यवधान) Point of Order क्या हो गया?... (व्यवधान) यह अब नहीं होगा... (व्यवधान) मैं तो यह चाह रहा था कि हम लंच से पहले सत्र को खत्म कर दें... (व्यवधान) अभी तक बहुत विज़नेस है—नियम 324, नियम 61 है... (व्यवधान) Please... (व्यवधान) आज आखिरी दिन में क्या important और क्या unimportant... (व्यवधान)

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.04.2026/1335/av/ag/1

नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय को नियम-324 के अंतर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टेक्स्ट इस प्रकार है :-

"नाभा आवासीय कॉलोनी (शिमला) में उत्पन्न हो रही सीवरेज व्यवस्था की गंभीर समस्या बारे विशेष उल्लेख।"

यह तथ्य है कि उक्त आवासीय कॉलोनी में सीवरेज लाइन कई वर्ष पूर्व बिछाई गई थी जिसका व्यास मात्र चार इंच है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ते उपयोग के कारण ये लाइन्स अत्यंत अपर्याप्त सिद्ध हो रही है जिसके परिणामस्वरूप सीवरेज बार-बार जाम हो जाता है और माह में अनेक दिनों तक अवरुद्ध रहने की स्थिति बनी रहती है। उक्त कॉलोनी में सीवरेज लाइन्स वर्ष 1972 में बिछाई गई थीं जोकि वर्तमान में मात्र 4 इंच व्यास की हैं। उस समय की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन लाइन्स का निर्माण किया गया था परंतु आज लगभग 5 दशकों के बाद क्षेत्र की जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। इसके बावजूद आज तक उसी पुरानी सीवरेज व्यवस्था पर निर्भरता बनी हुई है। वर्तमान स्थिति यह है कि बढ़ती आबादी और उपयोग के कारण अब ये लाइन्स पूर्णतया अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। इससे क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह एक स्थानीय स्तर पर विद्यमान गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है जिस पर सरकार द्वारा संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त समस्या के समाधान हेतु तत्काल स्थलीय निरीक्षण करवाकर वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाए तथा संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, नगर निकाय एवं जल शक्ति विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त सीवरेज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में 4 इंच व्यास लाइन्स को बढ़ाकर न्यूनतम 6 इंच करने एवं समुचित चैनलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि क्षेत्र वासियों को इस समस्या से स्थाई राहत मिल सके। धन्यवाद।

02.04.2026/1335/av/ag/2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि नाभा आवासीय कॉलोनी (शिमला) जिसकी सीवरेज व्यवस्था का आन्तरिक रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इस आवासीय कॉलोनी के आस-पास शिमला जल

प्रबन्धन निगम की 6 इंच की लाइन्स बिछी हुई हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज की समस्या नहीं है तथा यह सुविधा इस आवासीय कॉलोनी के मल को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक ले जाने हेतु पर्याप्त है।

उपरोक्त पाईप लाइन्स को 4 इंच की पाईप, जो कि इस कॉलोनी के आवासीय परिसरों में बिछाई गई है, के साथ जोड़ा जाता है जोकि पर्याप्त है। अवरुद्ध होने की स्थिति में इसे तुरंत दुरुस्त किया जाता है। इस प्रकार की कोई भी शिकायत लोक निर्माण विभाग के पास लम्बित नहीं है। ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है तो उक्त विभाग द्वारा उसे तत्काल दुरुस्त किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार अगर 4 इंच की पाईप को बढ़ाकर 6 इंच करने की आवश्यकता होगी तो **सर्वेक्षण करके इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।**

02.04.2026/1335/av/ag/3

नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अध्यक्ष : अब नियम-61 के अंतर्गत चर्चा होगी। यहां पर नियम-61 के तहत माननीय श्री सुख राम चौधरी और श्री चंद्र शेखर की ओर से दो विषय आए हैं। अगर आप अपना-अपना वक्तव्य 5-5 मिनट्स में समाप्त करते हैं तो सदन को लंच के स्थगित करते हैं।

मैं अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी से आग्रह करता हूं कि दिनांक 18 मार्च, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3901 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करें।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

दिनांक 18 मार्च, 2026 को मेरा एक प्रश्न लगा था कि पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र में HIMCAD के अंतर्गत 160 ट्यूब वैल्ज की 7 इंच बोर की डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई

थी। उसमें से 133 सिंचाई के ट्यूब वैल्ज बोर हुए थे। सिंचाई के ट्यूब वैल्ज बोर हो गए और उसके बाद उनमें केवल मोटर्ज डालकर उनको एनर्ज़ाइज करना था।

टी सी द्वारा जारी

02.04.2026/1340/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री सुख राम चौधरी ...जारी

हिमकैड के अंतर्गत 160 ट्यूबवैल, 7 इंच बोर की डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई थी। उसमें से 133 सिंचाई के ट्यूबवैल बोर हो चुके हैं। ट्यूबवैल बोर होने के बाद उनमें केवल मोटर डालकर उन्हें एनर्जाइज करना था क्योंकि 7 इंच के जो बोर होते हैं, उनमें मोटर डालने के बाद उन्हें किसानों को हैंड ओवर कर दिया जाता है और किसान ही उनकी मेंटेनेंस करवाते हैं तथा उसका बिजली का बिल देते हैं।

(सभापति श्री संजय रत्न जी पदासीन हुए)

यह कार्य वर्ष 2022 में हुआ था और आज लगभग साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में यह ट्यूबवैल चोक हो जाएंगे और जिस उद्देश्य से लगाए गए थे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय व जल शक्ति महोदय से आग्रह है कि इन ट्यूबवैल का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और केवल 30 प्रतिशत कार्य शेष है। यदि समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया तो इनका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा।

इसलिए इन ट्यूबवैल में मोटरें डालकर उन्हें चालू किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सरकार ने घोषणा भी की है कि जिन स्कीम्स का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है उन्हें पूर्ण किया जाएगा, अतः इस स्कीम को भी उसमें शामिल किया जाए।

सभापति : अब उप-मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्राधिकृत उद्योग मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री : सभाति महोदय, माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी ने नियम-61 के तहत के प्रश्न संख्या 3901 के उत्तर से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा की है और इसका

विस्तृत विवरण भी दिया गया है। हिमकेड योजना के अंतर्गत 160 ट्यूबवैल स्वीकृत किए गए थे जिनमें से 133 ट्यूबवैल स्थापित किए जा चुके हैं लेकिन उनमें मशीनरी स्थापित नहीं की गई है

02.04.2026/1340/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

उसके बजट की पेमेंट अभी रुकी हुई है क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं हो सका है और ट्यूबवैल में पंपिंग मशीनरी और राइजिंग मेन का कार्य बजट के अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, अभी तक कोई भी ट्यूबवैल कार्यशील नहीं है और वे तकनीकी खराबी के कारण बंद नहीं हैं बल्कि केवल बजट के अभाव के कारण कार्य अधूरा है। बजट अभाव के कारण अभी तक ठेकेदारों की देनदारी भी नहीं चुकाई जा सकी है। इस कार्य के लिए 2 करोड़ 4 लाख 88 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए केवल 25,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। ऐसी स्थिति में, जब प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 10 करोड़ रुपये की थी और टेंडर वर्ष 2022 में अवार्ड किया गया था, उस समय पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया।

सभापति महोदय, अब हम वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे कि शेष राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि यह स्कीम पूर्ण हो सके। अन्य विकल्प के रूप में इसे नाबार्ड के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा सकता है या विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत शामिल कर नाबार्ड को भेजा जा सकता है। हम वित्त विभाग से अनुरोध करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि यह स्कीम पूर्ण हो।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष : माननीय चंद्रशेखर, दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4250 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री चद्रं शेखर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह विषय मैंने नियम-61 के अंतर्गत उठाया है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आज सदन की कार्यवाही का अंतिम दिन है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। वर्ष 2006 का जो एफ0आर0ए0 एक्ट आया, उसके

प्रभाव हमें विशेष रूप से वर्ष 2023 से 2025 के दौरान महसूस हुए जब आपदा की स्थिति अपने चरम पर थी। यह एक्ट 4 हैक्टेयर तक भूमि प्रदान करने, अवैध निष्कासन से संरक्षण देने तथा ग्राम सभा के माध्यम से पंजीकृत दावों के निपटान का प्रावधान करता है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में एफ0आर0सी0 कमेटियां बनी थीं जो अब लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं और कार्य नहीं कर रही हैं। **एन0एस0 द्वारा .... जारी**

2-4-2026/1345/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री चंद्र शेखर ----जारी

मैंने पिछले कल जिला मण्डी का प्रश्न लगाया था और हिमाचल प्रदेश के परिपेक्ष में भी इस प्रश्न को देखा जाना चाहिए कि लोगों के पास इस कानून या एक्ट को लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों धर्मशाला, मण्डी और शिमला के अंतर्गत बड़े सम्मेलन किए और विपक्ष के विधायक भी इन सम्मेलनों में शामिल हुए। हमें राजस्व मंत्री जी के इस अनोखे इनिशिएटिव से बड़ा उत्साह मिला है लेकिन जमीन पर राजस्व अधिकारी, दूसरा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ सेक्रेटरी और तीसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के गार्ड से लेकर डी0एफ0ओ0 तक इन सब प्रश्नों के ऊपर इनका रवैया गैर जिम्मेदाराना रहता है और ये हर तरह से असहयोग करते हैं। जनता पहले ही इस विषय के ऊपर दो-चार हो रही है। पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा एक्ट लागू हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ जैसा राज्य एक एग्जांपलरी राज्य के तौर पर आगे आया है। ये स्थितियां हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अंदर भी उत्पन्न हुईं और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। वैसी परिस्थितियां यहां भी पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं हालांकि, इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन प्रश्न वही आता है कि अगर मैंने किसी विषय पर दावा किया, मैंने किसी जगह को लेकर दावा किया कि वर्ष 1980 से पहले के मकान मेरे हैं, मेरी जमीन है और मेरा लाइवलीहुड उस जमीन से जुड़ा हुआ है। वहां पर मेरी गौशाला है, वहां से मुझे पत्थर, घास और लकड़ी निकलनी है लेकिन इन सब हुकुक को मिलने के लिए जो एक्ट भारत की

संसद ने हमारी जनता के लिए पारित किया है उसको अक्षरशः लागू करना तथा उसकी स्पिरिट को पूरी तरह से लागू करने में हमारा तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने विभिन्न मंचों पर इस विषय को उठाया है। मैंने जिला स्तर पर, ब्लॉक लैवल और सब-डिवीजन लैवल पर भी इस विषय को उठाया है । अधिकारी चाहे डिप्टी कमिश्नर हो या एसडीएम है, चाहे गार्ड, पटवारी, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज हैं क्योंकि इसमें इन तीनों विभागों का अति महत्वपूर्ण रोल है। मैं उन सारी विधियों को भी समझ चुका हूं और सारी बातों को भी जानता हूं। मैं अपने आप भी जनता के साथ मिलकर इस कार्यों को आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी अंततः मांग यह है कि जब तक इनकी ए0सी0आर0 में यह नहीं जोड़ते कि इस एक्ट को लागू करने में

2-4-2026/1345/एन0एस0-ए0एस0/2

इनका कितना कटिबद्ध योगदान है और कितना उस एक्ट को लागू कर रहे हैं, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। ये लोग लापरवाही पूर्ण स्टेटमैंट देते हैं और जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। डिजास्टर की वजह से आज भी जो लोग गांव के अंदर हाशिये में रहते हैं उन हाशिये में रह रहे लोगों के पास जमीन नहीं है, नए मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है जबकि उनके पास जो वन भूमि है उसमें वे वर्ष 1980 से रह रहे हैं और उनकी तीन से पांच पीढ़ियां उसी जमीन से अपना लाइवलीहुड करती रही हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि निचले स्तर के अधिकारी से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तक जवाबदेही फिक्स हो क्योंकि मामले एस0एल0डी0सी0 में भी नहीं आ रहे हैं, मामले डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी में भी नहीं आ रहे हैं तो फिर निष्पादन कैसे होगा? मुझे यही सब कहना है।

आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात को यही कह कर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

2-4-2026/1345/एन0एस0-ए0एस0/3

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्र शेखर जी ने जो प्रश्न उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफ0आर0ए0 वर्ष 2006 का कानून है। यह भी अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कानून है। वर्ष 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार थी और डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय इस ऐतिहासिक कानून को पास किया गया था। उस समय बहुत सारे ऐतिहासिक कानून पास किए गए जिनमें से मनरेगा का कानून वर्ष 2005 का भी शामिल है। जिसका अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नाम बदला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसी पर ही कन्फाइन करें।

राजस्व मंत्री : यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी के लिए मैंने सभी माननीय सदस्यों को इसकी पुस्तिकाएं/कानून के रूल्ज और इसके अंदर जो प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होते हैं, वे दे दिए गए हैं। मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप इस कानून को लागू करने में सहयोग करें और अपने-अपने क्षेत्रों में

02.04.2026/1350/RKS/डीसी-1

राजस्व मंत्री जारी...

अगर हर विधान सभा क्षेत्र में आपकी ओर से यह काम किया जाता है तो आप हजारों लोगों को भूमि के मालिक बना सकते हैं जिससे उनका हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। हमने आज तक इस पर जो काम किया है, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। FRA-2006 को प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिनांक 28.03.2026 को राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में भी सभी उपायुक्तों को पुनः समयबद्ध क्रियान्वयन बारे निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन बारे विभिन्न पग उठाए गए हैं। जून, 2023 में जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें पंचायती राज, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों एवं गैर-सरकारी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 400 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद मेरी अध्यक्षता में 13 जून, 2024 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय

कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया तथा दावों के शीघ्र निपटान हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद फिर मेरी अध्यक्षता में धर्मशाला, मंडी व सोलन में 2, 3 व 5 अप्रैल, 2025 को एक दिवसीय मंडलीय स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कांगड़ा में 196, मंडी में 185 और सोलन में 273 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें डिप्टी कमिश्नर, सब-डिवीजन लेवल एस0डी0एम0, जो एस0एल0डी0सी के अध्यक्ष हैं तथा एफ0आर0सी0 से संबंधित पटवारी डी0एफ0ओज0, तहसीलदार, फॉरेस्ट गार्ड और यहां तक कि पंचायती राज संस्थाओं के बी0डी0ओज0 को भी सम्मिलित करके प्रशिक्षित किया गया। हमने विभिन्न जिलों में जिलाधीशों के माध्यम से कार्यशाला आयोजन करने के लिए आज तक लगभग 70 लाख रुपये व्यय किए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस गति के साथ FRA का काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह सही फरमाया गया कि इसमें जानकारी का अभाव है। हमने रूल्ज के साथ एक कैलेंडर छपवाया है जिसे साढ़े तीन हजार पंचायतों और कई महिला मंडलों में बांटा गया है ताकि इन कार्यशालाओं में भाग लिया जा सके। विभाग

02.04.2026/1350/RKS/डीसी-2

समय-समय पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का काम कर रहा है। इसमें दो किस्म के क्लेम आए हैं। अगर कोई पात्र व्यक्ति रूल 3(i) के तहत अपना क्लेम साबित करें तो उसे 4 हैक्टेयर सरकारी भूमि बिना पैसे मिल सकती है। यह इतना साधारण कानून है कि इसमें किसी को राजनेता या अधिकारी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारी शक्तियां ग्राम सभाओं को दी गई हैं। अगर कोई बड़ी ग्राम सभा है तो फिर इसे वार्ड सभा में ले जाने का प्रावधान है। पंचायत एफ0आर0सी0 कमेटी का गठन करती है। एफ0आर0सी0 कमेटी में 10-15 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी और 1/3 महिलाएं होती हैं। जो कमेटी बनाई गई है उसका दायित्व केवल यह है कि पात्र व्यक्ति अपना क्लेम इस एफ0आर0सी0 कमेटी में दाखिल करें। जब इस कमेटी के पास 15-20 केस आ जाते हैं तो मौके पर इनकी तहकीकात करने के लिए एक डेट निश्चित की जाती है। उस दिन लिखित सूचना देने पर पटवारी और फोरेस्ट गार्ड भी इस टीम में शामिल होंगे। यह कमेटी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। अगर किसी ने कोई खेत बनाया है,

चारदीवारी लगाई है, कोई मकान बनाया है या उससे किसी भी किस्म का जीवनयापन हो रहा है तो कमेटी को मौके पर जाकर उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी होती है। यदि पटवारी या फोरेस्ट गार्ड लिखित में सूचना दें कि वे इस कारणवश मौके पर नहीं आ सकते हैं तब तो उन्हें न आने की छूट है लेकिन यदि वे बिना बताए आने में आनाकानी करते हैं तो उनको एफ0आर0ए0 के सेक्शन-7 में एक हजार रुपये फाइन लगाने का प्रावधान है।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी

02.04.2026/1355/बी.एस./डी.सी.-1

राजस्व मंत्री जारी...

यह जो एक एफ0आर0ए0 कमेटी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करती है। यह पंचायत की सामान्य ग्राम सभा नहीं है। एफ0आर0ए0 की ग्राम सभा अलग है। उसमें यह रिपोर्ट प्रेषित की जाती है और ग्राम सभा में 50 प्रतिशत लोग अगर इसके पक्ष में अनुमोदन करते हैं तो यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है और फिर जो सब-डिविजनल लैवल कमेटी (एस0डी0एल0सी0) है जिसमें एस0डी0एम0 अध्यक्ष होते हैं, तहसीलदार सचिव होते हैं और तीन पंचायत समिति के नॉमिनेटिड सदस्य होते हैं। ये सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि ग्राम सभा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव नियमों के अनुसार सही है या नहीं? इसके बाद यह प्रस्ताव एस0डी0एल0सी0 को भेजा जाता है। एस0डी0एल0सी0 में डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं और डी0एफ0ओ0 उसका सदस्य होता है इसके अलावा तीन सदस्य जिला परिषद के होते हैं और एक सदस्य बी0आर0ओ0, रेवेन्यू विभाग से इसका सदस्य होता है।

अब इसमें पात्र व्यक्ति को क्या साबित करना है, एक तो जनजातीय लोगों के लिए है। लेकिन जो जनजातीय नहीं है लेकिन पिछले तीन पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर हैं किसी भी रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे भेड़-बकरी पालन भी कर रहे हैं तो उन्हें यह साबित करना है कि उनके बाप-दादा तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। इसके लिए 13 प्रकार के साक्ष्य दिए गए हैं जिन्हे आप प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें सबसे सरल साक्ष्य है वह यह है कि गांव के दो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 सोल से ऊपर है के बयान हैं। दूसरा आपकी पहचान यह होनी चाहिए कि आप उस गांव के बासींदे हैं। उसमें परिवार रजिस्टर की नकल भी हो

सकती है। वह वोटर आई कार्ड भी हो सकता है। वह कोई भी मान्यता प्राप्त सरकारी डाकूमेंट रख सकते हैं। इन दो किस्म के एविडेंस हैं फिर आपने जो प्रूफ करना है वह बड़ा आसान हो जाएगा। यह सिर्फ वन भूमि के ऊपर ही होना है इसको लागू करने में क्यों दिक्कत आ रही है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बार-बार हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि वन भूमि पर बगीचे लगाए हैं तो काटने होंगे। अगर मकान बनाया है तो हटाना होगा लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है जिसमें

02.04.2026/1355/बी.एस./डी.सी.-2

हिमाचल हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगाई गई है और हमारा जो एफ0आर0ए0 का कानून वह अन्य फॉरेस्ट कानूनों से ऊपर है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति आवेदन करता ह। तो जब तक उसका क्लेम सेटल नहीं होता। तब तक न फॉरेस्ट विभाग और न ही रेवेन्यू विभाग उसे बेदखल कर सकते हैं। इस कानून की बहुत बड़ी ताकत है।

अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है कुछ अधिकारी और अन्य लोग लोगों को डराते हैं कि एनफोर्समेंट केस बनेगा तो इसके लिए स्पष्ट है कि आप आवेदन करें, रसीद रखें अगर कोई नोटिस आता है तो वह कागज दिखाएं कि आपका केस लंबित है तब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यह बहुत सरल व्यवस्था है। अब साक्ष्य को लेकर भी अधिकारियों में भ्रम है। हमने डी0सी0 लैवल, एस0डी0एम0 लैवल, बी0डी0ओ0 लेवल, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड तक सभी को स्पष्ट कर दिया है कि केवल दो बुजुर्गों का बयान और एक पहचान पत्र पर्याप्त है। तीसरा साक्ष्य अनिवार्य नहीं है और वह मांग ही नहीं सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि क्लेम करने वाले व्यक्ति आपनी च्वाइस है कि वह किस किस्म का साक्ष्य देना चाहता है। अगर उसके पास अतिरिक्त दस्तावेज हैं तो वह दे सकता है अगर नहीं हैं तो केवल दो साक्ष्य भी पर्याप्त हैं।

पिछली बार हमने इसे लागू करने की कोशिश की थी यह कानून वर्ष 2008 में पूरे देश में लागू हुआ था। उस समय हिमाचल में भाजपा की सरकार थी। उस समय केंद्र

सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या फोरेस्ट एक्ट 2006 हिमाचल में लागू हो सकता है? उसी प्रक्रिया में इनका काफी समय निकल गया लेकिन वर्तमान सरकार इसे गंभीरता से लागू करने के लिए प्रयासरत है और इसमें अब हमने यह भी फैसल लिया है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

2.4.2026/1400/DT/YK-1

राजस्व मंत्री जारी...

कि जिला स्तर में जितने अधिकारी हैं जिसमें पंचायत सचिव से लेकर पटवारी, तहसीलदार और उपायुक्त है या कोई अन्य संबंधित अधिकारी है, हमने इसमें कानूनगों को नहीं लिया, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में चर्चा भी की है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ए0सी0आर0 लिखी जाए तो उस ए0सी0आर0 को इस आधार पर लिखा जाए कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा एफ0आर0ए0 के मामलों में कितना सहयोग किया है। सैक्शन-7, जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, अगर एफ0आर0ए0 के कानून को कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझ कर गलत इंटप्रेट करता है तो उसके विरूद्ध 1000 रुपये का फाइन लगाने का प्रावधान है, उसको भी हम सख्ती से लागू करेंगे। यह एक सामाजिक कानून है और अगर इस कानून को सही मायने में हम लागू करेंगे, तो इससे हिमाचल के लाखों लोगों को भूमि प्रदान हो जायेगी और लोग भूमि मिलने के बाद उसमें अपने बाग-बगीचे विकसित कर सकते हैं और अपनी इंकम बढ़ा सकते हैं। यह ऐसा कानून है जिसके कारण देश भर में लाखों केसिज स्वीकृत हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1000 की संख्या से ऊपर ऐसे केसिज नहीं पहुंच पाए हैं। मैं नहीं समझता के हमारे प्रदेश के लोगों को यह पता नहीं है। लेकिन जब मौके में जाकर मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया तो पता चला कि उनको सिर्फ यही डर था कि हाइ कोर्ट से कोई आदेश जारी हो जाएंगे या वन विभाग कोई आदेश जारी कर देगा या राजस्व विभाग कोई आदेश पारित कर देगा जिनसे उनको भविष्य में समस्या आ सकती है, लेकिन इन सभी बातों से इस कानून के माध्यम से लोगों को बचाया गया है। इस पर लिखा गया है कि यह ग्रामसभा की सहमति पर निर्भर करेगा। इसमें किसी की भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा में जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वे वोट कर सकते हैं। पंचायती राज एक्ट में जो संसोधन किया गया है, अब पंचायती राज एक्ट में भी यह प्रावधान कर दिया गया है कि 18

साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वह भी ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। इस कानून के अंतर्गत आप वार्ड स्तर पर भी ग्राम सभा बना सकते हैं। मैं अंत में सभी विधायकों से निवेदन करूंगा कि हमने जो यह मुहिम चलाई है उसमें आप दिलचस्पी लें। आप अपने विधान सभा क्षेत्र में अगर इस संदर्भ में कोई कार्यशाला का आयोजन करना है तो आप राजस्व विभाग या उपायुक्त को पत्र लिख सकते हैं। हमने ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन करने के लिए बजट का प्रावधान भी किया है। उस कार्यशाला में आप किसी रिसोर्स पर्सन को लाना चाहते हैं या आपको

2.4.2026/1400/DT/YK-2

उस कार्यशाला में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, सब किस्म से सहयोग इसके माध्यम से दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसमें सभी माननीय विधायकों का सहयोग रहेगा तो मैं समझता हूं कि फिर हिमाचल में कोई भी व्यक्ति लैंडलेस नहीं रहेगा। क्योंकि हिमाचल के अंदर यह नियम है कि all waste land is forest land है। इसलिए यह हर जगह पर अप्लाई होता है। यह ठीक है कि कांगड़ा के कुछ इलाकों में कुछ भूमि हमारे एलोटेबल पूल में है, उस भूमि को छोड़ा जा सकता है। उसके लिए भी हम अलग से एक पॉलिसी बना रहे हैं जैसा की माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश हैं। जो भूमि वन भूमि से बाहर है उसके लिए भी हम पॉलिसी लेकर आयेंगे ताकि लोगों को उसका भी लाभ मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं, शायद वे मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गये होंगे। ए0सी0आर0 के संबंध में मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार विमर्श करके हम यह कंडिशन भी लगायेंगे।

अध्यक्ष : माननीय रणधरी शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज इस सत्र का अंतिम दिन है और सत्र समाप्ति की ओर है। परंतु मैं एक प्रमुख विषय की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकृषित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय पिछले कुछ दिनों हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के चेस्टर हिल का मामला उठा था। मीडिया के माध्यम से उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारियों पर

आरोप लगे हैं। दो दिन पहले, शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि हिमाचल प्रदेश के वे अधिकारी जो मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधान सभा परिसर में प्रेस वार्ता बुलाकर जहां अपना स्पष्टीकरण दिया वहीं अन्य कई प्रमुख अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाये हैं। जिन अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाये वे अधिकारी इनसे पहले मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं और अभी भी वे प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। परंतु उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जोकि इस मामले में प्रदेश की जनता में जो आशंका है, कि हिमाचल प्रदेश

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

02.04.2026/1405/एच.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा.......... जारी

में भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर फैल रहा है। उच्च पद पर बैठे अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यह जो आशंका पूरे प्रदेश में फैली हुई है, उसका निराकरण करने के लिए आवश्यक था कि माननीय मुख्य मंत्री स्वयं स्टेटमैंट देते और उसके बावजूद...(व्यवधान) बोलने तो दीजिए। (माननीय उद्योग मंत्री को कहा) ...(व्यवधान) मंत्री जी, बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान) मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहता हूं कि विधान सभा में हमारे माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती ने इस विषय को उठाया, परंतु सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्वाइंट आ गया है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी माननीय सदन को भी दें और जनता को भी दें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, एक छोटा-सा मुद्दा है। परसों ही मैंने एंट्री टैक्स का मुद्दा उठाया था। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में एंट्री टैक्स के जो रिवाइज्ड रेट्स हैं, उन्हें यहां पर रखा था। जो रेट सदन में रखे गए थे, इन्होंने कहा था कि 5 सीटर व 6 से 12 सीटर पैसेंजर गाड़ियों पर पहले जैसा ही रेट रहेगा। जो जानकारी सदन में दी गई, उन रेट्स की नोटिफिकेशन वैसी नहीं हुई। नोटिफिकेशन में रेट्स अलग हैं।...(व्यवधान) सदन के अंदर की बात है। (माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा जी को कहा) मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं।

यह सदन के अंदर की बात है और माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में यह बयान दिया है। अगर रेट्स बदले हैं तो सदन में ही उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, उन

02.04.2026/1405/एच.के.-एन.जी./2

रेट्स की जानकारी नीचे अधिकारियों व टोल/एंट्री टैक्स लेने वाले ठेकेदारों तक भी स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए? क्योंकि प्रदेश में कल जो हालात थे, कहीं पर पुराने रेट लिए जा रहे थे और कहीं पर नए रेट लिए जा रहे थे। ऐसी अव्यवस्था पूरे प्रदेश के बॉर्डर ऐरियाज़ में फैली हुई थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी है। कई स्थानों पर आज भी यही स्थिति है। इसलिए इस विषय पर भी माननीय मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण दें और ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में बॉर्डर पर कानून व्यवस्था न बिगड़े और न ही प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ पड़े। इसके अलावा एंट्री टैक्स बढ़ने से न तो हमारा टूरिज्म प्रभावित हो और न ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कठिनाइयां आएं। इस दृष्टि से इस एंट्री टैक्स के मामले को सुलझाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष : अब हम सत्र की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं सत्र की समाप्ति की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूं, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी कर

रहा हूं और उनका ध्यान भी आकर्षित कर रहा हूं। ...(व्यवधान) Hon'ble Chief Minister don't want to speak. ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, कृपया सुन लीजिए। पिछले एक वर्ष के अंदर विधान सभा की जो कमेटियां हैं, उनमें बहुत से माननीय सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम रही है। मेरे पास अभी डिटेल्स हैं at this stage, I don't want to refer the details here in this House. पर बहुत सारे, the attendance of majority of the Members is 50 per cent or less than 50 per cent. So far as the Chairmen of the Committees are concerned, except one or two Chairmen, जिसमें श्री संजय रत्न जी, श्री राम कुमार जी व एक-आध और ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत रही है और जिन्होंने कमेटी सिस्टम में सक्रिय योगदान दिया है। माननीय सदन में कमेटियों की जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई हैं, उनकी भी डिटेल मेरे पास है। I am going to reconstitute these Committees now from 3rd or 4th April और मेरा आप सभी से आग्रह है कि Best Parliamentarian Award, Best Attendance Award की भी

02.04.2026/1405/एच.के.-एन.जी./3

हमने घोषणा की है। उसमें आपकी जो attendance in the House, attendance in the Committees system, will also be one of the parameters to be a best legislatures, in the performance side and in the attendance side as well. मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में जो कमेटियां बनेंगी और जो माननीय सदस्य उनके सदस्य या अध्यक्ष होंगे, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वे कमेटी सिस्टम की ओर अधिक ध्यान दें तथा कमेटी मीटिंग्स को गंभीरता से लें। क्योंकि कमेटी मीटिंग्स के माध्यम से हम बहुत सारा योगदान प्रदेश के हित में दे सकते हैं। ये कुछ बातें थीं, जिसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहा रहा था।

श्री ए0पी0 द्वारा......जारी

02.04.2026/1410/एच0के0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष जारी .....

अब बजट सत्र समाप्ति की ओर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी व माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहते हैं। पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र समाप्ति की ओर है। यह बजट सत्र दो भागों में गया। एक भाग वह था जिसमें प्रदेश के लोगों का अधिकार आर0डी0जी0 के रूप में मिलता था। जिसे 16वें वित्त आयोग ने हमसे छीन लिया। एक बजट सत्र यह था कि उस आर0डी0जी0 के कटने के बाद हमने यह बजट प्रस्तुत किया। पहली बार इतिहास में, आर0डी0जी0 कटने के बाद भी हमारा पिछले साल से बजट 54,928 करोड़ रुपये का हुआ। निश्चित रूप से, जब किसी को एक लाख रुपये की आय महीने में मिलती है और उसका 70-72 सालों से जो 20 प्रतिशत मिलता था, वह बीस प्रतिशत कट जाए यानी कि 20 हज़ार कट जाए तो बजट को स्वरूप देने में परेशानी होती है। लेकिन इस बजट के माध्यम से हमने अपने तरीके से आम आदमी तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप बजट को एक बड़े दष्टिकोण से देखेंगे तो इस बात की स्पष्टता उसमें है कि हमने आम आदमी, समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाने की कोशिश की है ताकि उस पर इस बजट की चोट न लगे।

दूसरा, हमने विधायक निधि में भी कट किया है। हमने विधायकों की सैलरी और मंत्रियों की सैलरी में भी कटौती की है। पहली बार इतिहास में हमने ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और जो-जो डायरेक्टरेट हैं उनकी हेड्स की सैलरी में भी कट लगाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों से हमें निपटना भी आता है। इस समय प्रदेश में जो यह आर्थिक चुनौती आई है यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमें मालूम है कि समस्याएं हैं और हम उनका समाधान भी ढूंढ रहे हैं। हम जानते हैं कि कैसे जनता का पैसा सरकारों के माध्यम से लुटा दिया जाता था। उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और बात

कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर बोलते हैं कि पांच रुपये का सेस लगा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं

02.04.2026/1410/एच0के0/ए0पी0/-02

कि हमने पांच रुपये का कोई सेस नहीं लगाया है। मैं इस बात को माननीय सदन में भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा अभी डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाने का कोई मकसद नहीं है। यह सिर्फ हमने बिल के द्वारा अधिकार लिया है, ताकि भविष्य में कभी भी इसको लगाया जा सके। नेशनल मीडिया में चर्चा चलती है। इनका मीडिया झूठ बेचने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको सच बता रहा हूं। आजतक न्यूज चैनल में भी इस पर चर्चा चल रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल की किमतों पर पांच रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अभी बिल को एसेंट मिलेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन होगी और नोटिफिकेशन के बाद भी हमारा दिल करेगा तो लगाएंगे। अगर सरकार खुद ही समर्थ होगी तो हम डीजल और पेट्रोल पर सेस क्यों लगाएंगे? उस सेस की पांच रुपये अधिकतम सीमा थी। हम सेस में एक पैसा भी लगा सकता हैं या दो पैसे भी लग सकते हैं। हमारा पेट्रोल और डीजल के रेट्स पंजाब और हरियाणा से 60-से-80 पैसे कम है। (श्री विवेक शर्मा जी से पूछते हुए। माननीय रणधीर शर्मा द्वारा बताया गया कि 3 रुपये कम हैं।) मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमने यह अधिकार लिया है। यह अधिकार सरकार किसी पर टैक्स लगाने के लिए नहीं ले रही है। कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए जो प्रदेश की सम्पदा से संबंधित थे, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थे। ठीक है, विधायकों की विधायक निधि काटी गई है। इससे कष्ट होता है और आपकी सैलरी भी कटती है। क्योंकि जनता यह चाहती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बलिदान करे, वे हम करें। क्योंकि हमें तो पांच साल बाद जनता की अदालत में जाना पड़ता है और बलिदान भी सबसे ज्यादा विधायकों का जो लोगों द्वारा चुन कर आते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो तो 58-से-60 वर्षों तक अपनी सेवाएं देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट को बनाने में मैं व्यक्तिगततौर से हर पहलू पर गया, हर पेज पर देखा कि हमने किस वर्ग को क्या देना है। मेरा मानना है कि हम 54,928 करोड़ रुपये के इस बजट को मीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपये

का डेफिसिट है। उसे कैसे पूरा करना है, इसके लिए सभी लोगों को फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और जब हम फैसले लेंगे तभी तो

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.04.2026/1415/AT/YK/01

मुख्य मंत्री जारी...

हम हिमाचल की आत्मनिर्भरता की कल्पना कर सकते हैं। कई जगह हमने खर्च में कटौती की है। इस सत्र के बाद मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मैं रोज़ दो घंटे उनके साथ बैठकर फाइनेंस की मीटिंग करूंगा। भविष्य में हम कुछ और फैसले भी लेंगे और ये सोचकर लेंगे कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम ये फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक लाभ का फैसले के लिए श्री जय राम ठाकुर जी ने भी 5000 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य है कि हम भविष्य में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है।

मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस प्रदेश की आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ें। हमें आप सबका सहयोग चाहिए। कुर्सी आती है और जाती है, लेकिन अगर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हिमाचल की 75 लाख जनता को भी इसका लाभ मिलेगा और जो भी हमारी पेंशन योजनाएं और अन्य योजनाएं हैं, उनका लाभ भी लोगों को मिलेगा।

मैं इस सत्र में यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छे तरीके से सत्र को संभाला। मैं हमेशा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का सम्मान करता हूं क्योंकि वे हमारे सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्हें अब थोड़ा गुस्सा ज्यादा आने लगा है। यह हमें दिखता है भले ही इन्हें नजर नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, आपको और सभी सदस्यों को भी यह दिखाई दे रहा होगा।

मैंने 50 साल की उम्र में ही ब्लड प्रेशर की दवाई लेना शुरू कर दी थी। लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी, आपको छोटी गोली खाने की जरूरत नहीं है। आप अपना ब्लड प्रेशर

चेक करवा लीजिए। मेरी इस बात को राजनीतिक रूप से न लें, यह केवल एक सुझाव है। क्योंकि जिस स्थिति में आप हैं, वहां तनाव होता ही है, चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में हो। जब आप तनावग्रस्त जीवन जीएंगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। इसलिए मैं इसे एक सुझाव के रूप में कह रहा हूं, इसे अन्यथा न लें। ...(व्यवधान)

02.04.2026/1415/AT/YK/02

मुख्य मंत्री : इसके अलावा मैं सभी विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं चाहे श्री विपिन परमार जी हों, श्री बिक्रम जी हों, श्री रणधीर जी हों या श्री विनोद जी हों सभी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और युवा सदस्यों में श्री त्रिलोक जम्बाल जी सहित सभी माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए। हमारी तरफ से भी विधायकों ने अच्छे प्रस्ताव रखे। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : विशेष तौर पर श्रीमती कमलेश ठाकुर ने जो maiden speech दी है।

मुख्य मंत्री : आज का दिन बहुत शुभ भी है। क्योंकि आज श्री राजेश धर्माणी जी, श्री सुरेश कुमार जी और श्रीमती कमलेश ठाकुर जी का जन्मदिन भी है। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आज इनका exclusive dinner है, आप बार-बार इन्हें disturb मत करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बाद और विवाद लोकतंत्र की परंपरा है। अपने विचार रखना भी लोकतंत्र की परंपरा है। बाद और विवाद में थोड़ा बहुत aggression होता है, जोकि स्वाभाविक है। और इस सभा को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है और पहली बार ऐसा देखा गया है कि आप बहुत धैर्यपूर्वक सबको सुन रहे हैं। कई बार आप पुरानी परंपराओं को तोड़ कर नई परंपराएं स्थापित कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने जो इशारा किया है, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं।

मुख्य मंत्री : नही, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि परंपराओं को आप तोड़ रहे है और...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परंपराओं को तोड़ नहीं रहा हूं, नई परंपराओं को बना रहा हूं।

मुख्य मंत्री : मैं यही कह रहा हूं कि आप नई परिस्थितियों के अनुसार नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं जो आज के समय में जरूरी भी हैं। पहले की परंपराएं उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थी। आज हम संचार और मोबाइल के युग में हैं। पहले लैंडलाइन फोन होता था, और जब हमें कभी-कभी फोन आता था और जब हमें फोन सुनने का मन नहीं होता था तो

02.04.2026/1415/AT/YK/03

हम हेलो-हेलो करते रहते थे पर उस मैं सुनाई पुरा देता था लेकिन हम फोन काट देते थे। अब मोबाइल का समय है, तुरंत जवाब देना पड़ता है। अगर अब के समय में हमने कोई फोन नहीं उठाया तो हमको तनाव हो जाता है कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : तो वॉइस मेल आ जाती है।

मुख्य मंत्री : जी, वॉइस मेल आ जाएगी। आज की पीढ़ी इन परिस्थितियों का सामना कर रही है। हमारे पास पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं जैसे चौधरी चंद्र कुमार जी और कर्नल धनी राम शांडिल जी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका अनुभव हमारे बहुत काम आता है और अगर सही स्वरूप में डालकर उसको कानून में परिवर्तित करना है

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी....

02.04.2026/1420/av/ag/1

मुख्य मंत्री जारी

तो अनुभव उसमें विशेष योगदान देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। यहां पर मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों सहित खासकर विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर का व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करना

चाहता हूं क्योंकि यहां पर जो भी विचार रखे जाते हैं वे अगली बार समस्या का समाधान करने के काम आते हैं ताकि अगली बार आप उस बारे में सवाल न उठाएं। अगली बार किसी भी समस्या का समाधान तभी होगा जब आप यहां सवाल उठाएंगे।

यहां पर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। हमारे पुलिस कर्मचारी जिन्होंने यहां पर हमारा 24 घण्टे ड्यूटी देकर साथ दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे विधान सभा के सभी अधिकारी/कर्मचारी व आज दीर्घा में जो हमारे तिब्बतीयन गवर्नमैंट के लोग बैठे हैं, हम आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी कार्यवाही बड़े शांतिपूर्वक ढंग से देखी तथा यह भी देखा कि हमारे बीच में वाद-विवाद कैसे होता है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका खासतौर से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप जिस व्यवस्था को बना रहे हैं या जिस स्वरूप में वह आगे बढ़ रही है, वह भविष्य में हमें एक नई प्रेरणा देकर जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02.04.2026/1420/av/ag/2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बजट सत्र का आज यह अंतिम दिन है और मैं विधान सभा सचिवालय को इस बात की बहुत-बहुत बधाई भी देता हूं क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आता है तो इस सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव, बहस इत्यादि ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारी चीजों का अच्छी तरह से संचालन किया। इस सदन के अंदर यह हम सभी लोगों के लिए एक तरह से खुशी का विषय भी है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि इस बार यह बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित हुआ है मगर इसको दो हिस्सों में करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु आपने फिर भी कर दिया। उसमें शायद आपकी कुछ राजनैतिक विवशताएं थीं, आप क्या

सोच कर वे सारी चीजें कर रहे थे। आपने जो आर0डी0जी0 का जिक्र किया तो शायद आपको लग रहा था कि केंद्र का बजट पारित होने से पहले हम अपना प्रस्ताव पारित करके भेजें ताकि केंद्र के सामने हमारा पक्ष जाए। आपकी सोच का शायद यह पक्ष हो सकता है और आपकी यह सोच भी रही होगी कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सभा के लिए एक सीट का चुनाव है। जबकि हम कुछ नहीं कर रहे थे परंतु आप फिर भी चिन्तित थे। उस चिंता के कारण आपने यह कहा कि राज्य सभा के चुनाव के उपरांत हम बजट सत्र आरम्भ करेंगे। ख़ैर, मैं उन सारी चीजों पर नहीं जाना चाहता परंतु सत्ता पक्ष ने इसमें अपनी सुविधा का जरूर ख्याल रखा है।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का चौथा बजट सत्र था और इसके बाद अगला बजट आपका चुनावी वर्ष का होगा तथा वह इस सरकार का अंतिम बजट होगा। उसके बाद चुनाव होंगे। हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट कम किया गया। उसके लिए भले ही आप मुझे दोष देते हैं या हमारी केंद्र सरकार को देते हैं। लेकिन इस बात को हमें सहज रूप से लेना चाहिए कि न दोषी एक व्यक्ति है और न ही दोषी एक सरकार है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का यह दौर बहुत लम्बे समय से बना है और इसमें बहुत सरकारों का योगदान है। लेकिन सामने हम ही दिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इनको यही लगता है कि सारा दोष जय राम ठाकुर के सिर मढ़ा जाए और उसके लिए आप ईमानदारी से प्रयत्न भी करते हैं।

टी सी द्वारा जारी

02.04.2026/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि सारा दोष हमारे सिर पर आए लेकिन प्रदेश की जनता इन सारी चीजों को जानती है। लोकतंत्र में हमेशा दो पक्ष होते हैं। सरकार को यह मानकर चलना चाहिए कि हम आपकी हर बात का समर्थन करने के लिए नहीं हैं। यदि आपका कोई निर्णय जनहित का होगा, प्रदेश हित का होगा तो उसमें सहयोग की संभावना रहती है और हम सहयोग भी करते हैं लेकिन जब आपका निर्णय जनहित का नहीं होगा,

प्रदेश हित का नहीं होगा तो हम अपनी बात रखेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसका विरोध भी करेंगे। इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। जब हम यहां अपनी बात रखते हैं तो कई बार सरकार को लगता है कि यह हमारी बात से सहमत नहीं हैं और इसलिए विरोध कर रहे हैं लेकिन विपक्ष का यह अधिकार है कि वह अपना पक्ष रखे।

अध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है कि सरकार के दबाव या प्रभाव में रहकर विपक्ष अपना कार्य करे। हमें अपनी बात कहनी है। यदि आप शांति से सुनेंगे तो शांति से कहेंगे, प्यार से कहेंगे तो हम भी प्यार से कहेंगे लेकिन यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमें ऊंचे स्वर में बोलना पड़ेगा। अब ऊंचे स्वर में बोलने पर भी आप टिप्पणी करते हैं कि गोली की डोज बढ़ा देनी चाहिए। सत्ता पक्ष में आपको भी अपनी भूमिका निभानी है और हमें विपक्ष में अपनी भूमिका निभानी है। इसलिए हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए। हमारा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मुद्दों की लड़ाई है। जब हमें लगता है कि व्यवस्थाएं व्यवस्था परिवर्तन के दौर में कमजोर हो रही हैं तब हम अपनी बात रखते हैं। आपने आर्थिक संकट के दौर में यह बजट प्रस्तुत किया है। हमारे समय में भी आर्थिक संकट था लेकिन आपने अब प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यदि आप बजट से पहले ही सुधार की दिशा में कदम उठाते तो बेहतर होता।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बार-बार कार्यवाही में लाई जाती है कि प्रदेश की संपदा को लुटाया गया है। लूटा गया और लुटाया गया जैसे शब्द कार्यवाही का हिस्सा नहीं होने चाहिए। हमने अपने विवेक के अनुसार प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया है।

02.04.2026/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

यदि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की और उसके साथ हमने हिमकेयर योजना चलाई तो यह प्रदेश की संपदा को लुटाने का विषय नहीं है। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उस पर कार्यवाही की जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हमने हिमाचल प्रदेश में 4700 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई हैं, विभिन्न संस्थान स्थापित किए हैं, सहारा योजना चलाई है, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है, मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को सहयोग दिया है तो इसे प्रदेश की संपदा को लुटाने से

जोड़ना उचित नहीं है। ऐसे शब्द जब कार्यवाही का हिस्सा बनते हैं तो वे पीड़ादायक होते हैं। आप अपनी बात अन्य तरीके से भी रख सकते हैं लेकिन इस प्रकार के शब्दों को कार्यवाही का हिस्सा बनाना उचित नहीं है। स्वाभाविक रूप से फिर उसका प्रतिशोध होता है, प्रतिक्रिया होती है और दोनों तरफ से तीखी बातें भी होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत चुनावों के विषय में भी कहना चाहता हूं कि उन्हें स्थगित किया गया और बाद में डिप्टी कमिश्नर को जिस प्रकार से 5 प्रतिशत रोस्टर लागू करने के अधिकार दिए गए, वह उचित प्रतीत नहीं होता।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-4-2026/1430/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

पूरे प्रदेश में कोई व्यक्ति इस पक्ष में नहीं है। अधिकारी सिर पकड़ कर बैठे हैं। उनके लिए आफत हो गई । अब उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हमारी पंचायत को ओपन कीजिए और हमारी पंचायत को रिजर्व कीजिए। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद अगर जिद्द है तो यह जिद्द कई बार अच्छी नहीं होती है और जिद्द कई बार छोड़नी भी चाहिए, उससे आदमी का कद बड़ा होता है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि जिद्द से लिए हुए फैसले विवेकपूर्ण नहीं होते हैं, वे हमेशा नुकसानदायक होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र ज्यादा है या मुख्य मंत्री जी उम्र ज्यादा है लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि एक उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के पश्चात् हमें अनुभव से यही सीखने को मिला है। इसलिए मुझे लगता कि थोड़ा विचार करना चाहिए और जिद्द करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि अधिकारी सत्ता से ऊपर हो गए हैं और सरकार से ऊपर हो गए हैं। मैं अधिकारियों का सम्मान करता हूं और पूरा प्रदेश इनका सम्मान करता है लेकिन अगर कुछ लोगों की बात कहूं तो वह उचित नहीं है। वहीं रोकिए जहां उनको रुकना चाहिए। आरोप के दौर चले हुए हैं और आज वे अपने हिसाब से जिस तरह से बातें कह रहे हैं तो

कल को उनकी हिम्मत ऐसी न बन जाए कि वे सरकार के ऊपर आरोप लगाएं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं। यह आपकी क्या व्यवस्था है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन उनको रोकिए और यहीं रोकिए, उनको इससे ज्यादा इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सरकार वह है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लोकतंत्र में इसी को सरकार बोलते हैं। इसलिए किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वह होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज सत्र समाप्त हो रहा है इसलिए अब बहुत बातों का जिक्र करना उचित नहीं है। मैं यही कहूंगा कि विधानसभा सचिवालय ने बहुत अच्छी मेहनत की क्योंकि इन दिनों में उनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं मीडिया के सब साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इन्होंने हमारी बात जो हमने अपने हिसाब से यहां

2-4-2026/1430/एन0एस0-ए0एस0/2

कही फिर इन्होंने अपने हिसाब से उस बात को मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाया है तथा स्वतंत्र रूप से पहुंचाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय आपका भी, सचिव, विधान सभा और पुलिस के कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक रूप से मेरा यही कहना है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और भले काम करते हैं लेकिन हमको एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम की संभावनाएं किस प्रकार से बेहतर हो सकती हैं, उन सारी चीजों को हमेशा तलाशना चाहिए। यह सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के लिए बहुत आवश्यक है और सत्ता पक्ष की ओर से इसमें पहल होनी चाहिए। लेकिन पहले दिन से सत्ता पक्ष का रवैया ऐसा लग रहा था कि वे हमारा बिल्कुल विरोध कर रहे थे कि हम विपक्ष के हैं और हम किसी काम के नहीं है।। ऐसा नहीं है, विपक्ष काम का होता है। आपकी किसी योजना या किसी काम में खामी रहती है तो उसके सुधार के लिए अगर गुंजाइश आपको कहीं नजदीक उपलब्ध होती है और सबसे बेहतर उपलब्ध होती है तो विपक्ष की ओर से जो बातें कही जाती हैं आप उनमें तलाशिए। कहते हैं कि

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।

इसलिए आप लोकतंत्र में रह कर विपक्ष को ऐसा मत मानिए कि ये किसी काम के नहीं हैं और ये हर बात के विरोधी हैं। हां, विरोध करना विपक्ष की भूमिका है। हमें इस भूमिका के अनुरूप इस काम को करना है। लेकिन सुनना और उसके अनुरूप सुधार की गुंजाइश तलाशना सत्ता पक्ष की भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे और मिलकर बात करेंगे तथा प्रदेश आगे बढ़े, हम यही कामना करते हैं। इस संकट की घड़ी में जो आर्थिक संकट हमारे सामने है उसका

श्री द्वारा जारी

02.04.2026/1435/RKS/डीसी-1

श्री जय राम ठाकुर जारी......

मुख्य मंत्री जी ने हमें अभी वह फार्मूला नहीं बताया है जिसमें आपने यह कहा है कि हमारा प्रदेश वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। अगर यह फार्मूला आपने कहीं रखा है तो उसे निकाल कर लागू किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : इस चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान सदन की कुल 16 बैठकें दो चरणों में आयोजित हुई। जिसमें प्रथम चरण में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक तीन दिन और दूसरे चरण की दिनांक 18 मार्च से 2 अप्रैल, 2026 तक कुल 13 बैठकें आयोजित की गई। सदन की कुल कार्यवाई 90 घंटे तक चली जिसकी प्रोडक्टिविटी 103 प्रतिशत रही। सत्र का आगाज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ हुआ। सदन में स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी गई। इस सत्र में सरकार के द्वारा नियम-102 के अंतर्गत दिनांक 16/2/2026 को सदन में सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया।प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें व 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जोकि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बंद की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के

हालात पैदा हुए। इसके दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए। जिसमें सत्तापक्ष के 16 तथा विपक्ष के 15 माननीय सदस्यों ने 10 घंटे 55 मिनट चर्चा में भाग लिया। चर्चा के उपरांत माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1 घंटा 44 मिनट उत्तर दिया। जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए और सार्थक चर्चा उपरांत सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास किया गया जिसे आगामी कार्रवाई हेतु विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। सदन में दो विधेयक जो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संबंधित विभागों को पुनर्विचार हेतु वापस किए थे, उन्हें सदन में पुनर्विचार उपरांत पुनः पारित किया गया। दिनांक 18 मार्च को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया जिस पर तीन दिन चर्चा हुई जिसमें पक्ष के 18, विपक्ष के 17 माननीय सदस्यों ने 11 घंटे 48 मिनट

02.04.2026/1435/RKS/डीसी-2

चर्चा में भाग लिया। चर्चा के उपरांत माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1 घंटा 6 मिनट उत्तर दिया। दिनांक 19 मार्च, 2026 को सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत और पारित किया गया। दिनांक 21 मार्च, 2026 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किए गए। यह बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सबसे लंबा बजट भाषण इस सदन में पढ़ा गया जोकि लगभग 4 घंटे 10 मिनट था। बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तीन दिन हुई जिसमें कुल 35 माननीय सदस्यों ने भाग लिया एवं चर्चा 13 घंटे 47 मिनट तक चली। चर्चा उपरांत माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 25 मार्च, 2026 को एक घंटा चर्चा का उत्तर दिया। दिनांक 27 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक बजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा सार्थक चर्चा की। चर्चा उपरांत मुख्य मंत्री, मंत्रियों ने अपनी-अपनी मांगों से संबंधित उत्तर दिए एवं मांगे पारित हुई। तदुपरांत 30 मार्च, 2026 को शेष मांगे गिलोटीन द्वारा सभी पूर्ण रूप से पारित हुई एवं विनियोग विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण हुआ।

श्री बी0 एस0 द्वारा जारी

02.04.2026/1440/बी.एस./एच.के.-1

अध्यक्ष जारी...

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र के दौरान कुल 471 तारांकित तथा 146 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सत्र में नियम-61 के अन्तर्गत 4 विषय, नियम-62 के अन्तर्गत 2 विषय तथा नियम-67 के अन्तर्गत 1 स्थगन प्रस्ताव जोकि "सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर में जिला उपायुक्तों को 5 प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित था जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाया गया तथा स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। सत्र में 1 दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस हेतु निर्धारित था जिस पर माननीय सदस्यों ने नियम 101 के अन्तर्गत 4 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। इसमे 1 संकल्प चर्चा उपरान्त सदन द्वारा पारित किया गया। 1 संकल्प सदन द्वारा अगले सत्र के लिए स्थानांतरित किया गया तथा 2 संकल्प पर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो सकी ।

नियम- 130 के अन्तर्गत 1 विषय चर्चा हेतु निर्धारित था। इसके अतिरिक्त 9 सरकारी विधेयकों को भी सभा में पुरःस्थापित एवं चर्चा उपरान्त पारित किये गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 1 विषय तथा शून्यकाल के दौरान 94 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया और अन्य विषयों के ऊपर विधान सभा ने संज्ञान भी लिया और सरकारी अधिकारियों से उन विषयों पर की गई कार्रवाई से माननीय सदन और माननीय सदस्यों को अवगत करवाने के निर्देश भी माननीय सदन ने दिए।

सदन में समितियों के 60 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए।

7 विधेयक जो पूर्व में सदन द्वारा पारित करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये गये थे जिन पर माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय

02.04.2026/1440/बी.एस./एच.के.-2

राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिलने उपरान्त सचिव विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखे गए ।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी का विशेष धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित कर पाया। मैं उपमुख्य मन्त्री जी, संसदीय कार्यमन्त्री जी तथा मन्त्री मण्डल के समस्त माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय सदन के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश के विषयों को सदन में उठाया।

मैं राज्य सरकार व विधान सभा के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार करता हूं जिन्होंने इस सत्र के लिए दिन-रात कार्यकर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयवद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया ।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ में हमारे नेवा के भी कर्मचारियों ने भी इसमें विशेष सहयोग दिया। पुलिस परसोनल्स जो बाहर ड्यूटी पर थे और जो अंदर सुरक्षा हेतु जवान तैनात थे मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी सदन के संचालन में हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं में सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन कंरूगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(**राष्ट्रीय गीत गाया गया**)

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

02.04.2026/1445/डी0टी0/डी0सी0-1

इसे पहले कि मैं माननीय सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मेरा सभी विधान सभा सदस्यों से आग्रह है कि आज तीन माननीय सदस्यों का जन्मदिन है और इस अवसर पर तीनों माननीय सदस्यों ने केक काटने का प्रयोजन किया है। अतः आप सभी विधान सभा के कमेटी रूम में आमंत्रित हैं, ऐसा मुझे कहा गया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004. **यशपाल शर्मा,**

दिनांक : 02.04.2026 **सचिव।**